कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 10 नवम्बर 2025 वर्ष-80 अंक - 11 मूल्य-रु. 12/- कुल पृष्ठ-16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

शहद उत्पादन कैसे बढ़ायें..?

6

फलों का फटना एवं नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने लिए कृषक हितैषी निर्णय

भावान्तर में सोयाबीन मॉडल रेट तय, किसानों को मिलेगी 10 घंटे निर्बाध बिजली

समाधान योजना में मिलेगी 100 फीसदी सरचार्ज में छूट

भोपाल (कृषक जगत)। म.प्र. के किसानों को इस सप्ताह दो बड़े निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन किसानों को भावान्तर योजना के तहत मॉडल रेट तय कर अंतर की राशि लगभग 1300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक देने का निर्णय लिया तो दूसरी तरफ कृषि फीडर में 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने तथा समाधान योजना के तहत 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्युत वितरण कंपनी के विवादित सर्क्यूलर पर तुरंत संज्ञान लेकर उसे न केवल निरस्त किया बल्कि जारी करने वाले अधिकारी को भी हटाने के आदेश दिये।

किसान हितैषी राज्य सरकार ने 'भावान्तर योजना' में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया है। प्रदेश के सोयाबीन किसानों को एमएसपी का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए अतिरिक्त 1300 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को ये अंतर की राशि वितरित होगी।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री म.प्र.

भावांतर योजना के तहत किसानों द्वारा बेची गई सोयाबीन पर मॉडल भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस क्रम में सरकार द्वारा सोयाबीन के पहले मॉडल भाव की घोषणा कर दी गई है, जो कि लगभग 4020 रुपये प्रति क्विंटल है। इस वर्ष सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं सरकार द्वारा गत 7 नवंबर को तय किया गया मॉडल रेट 4020 रुपए प्रति क्विंटल है। अब किसानों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल रेट के अंतर की राशि, जो कि लगभग 1308 रुपए बनती है वह जारी की जाएगी। अंतर की राशि, 24 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 के मध्य बेचीं गई सोयाबीन किसानों को मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सोयाबीन के लिए भावांतर के तहत किसानों का पंजीयन गत 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया गया है। जिसमें 9 लाख 36 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। भावांतर योजना में 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की खरीद की जाएगी।

10 घंटे बिजली मिलेगी

वहीं डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस सर्क्यूलर को लेकर जनसामान्य में गलतफहमी पैदा हुई है, उस विवादित सर्क्यूलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विवादित सर्क्यूलर मामले से जुड़े संबंधित चीफ इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से हटाकर विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

1 रु. क्लेम, क्या मजाक है किसानों के साथ : श्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की परेशानियां दूर करने और क्लेम के बारे में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक ली। श्री सिंह ने बैठक में महाराष्ट्र के कुछ किसानों को भी वर्चुअल जोड़कर गहराई से सीधे उनकी बात सुनी और अधिकारियों से इसके बारे में जवाब मांगा। श्री शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम किसानों को किसी भी हालत में परेशान नहीं होने देंगे। 1 रु., 3 रु., 5 रु. या 21 रु. का फसल बीमा क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है, सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच के आदेश दिए, साथ ही किसानों के हित में बीमा कंपनियों एवं अफसरों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसानों को क्लेम जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए तथा क्षति का आकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए, इसके लिए श्री चौहान ने योजना के प्रावधानों में आवश्यक होने पर बदलाव कर विसंगतियां दूर करने के निर्देश भी अफसरों को दिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान सीहोर जिले के किसानों से मिली शिकायतों को लेकर काफी गंभीर थे, साथ ही महाराष्ट्र के किसानों को नाममात्र की क्लेम राशि मिलने की बातों को लेकर भी चिंतित थे, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सभी बीमा कंपनियों के उच्चाधिकारियों को भी उन्होंने फौरन तलब किया। श्री शिवराज सिंह ने इन सबकी बैठक लेकर कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए उनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में वरदान की तरह है, लेकिन साथ ही कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की बदनामी हुई है और मजाक भी उड़ता है तथा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है।

केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर इस बैठक में महाराष्ट्र के कृषि आयुक्त तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी वर्चुअल जोड़ा गया, साथ ही अकोला जिले के शिकायतकर्ता कुछ किसानों को भी ऑनलाइन जोड़कर उनसे पूरी जानकारी ली गई, जिनकी शिकायत थी कि 5 रु., 21 रु. मिले हैं, श्री शिवराज सिंह ने पूरी बारीकी से पूछताछ करते हुए सवाल किया कि हमारे किसानों को इस तरह से इतना कम क्लेम पेमेंट कैसे और क्यों हुआ है। गाइड लाइन में परीक्षण कर आवश्यकतानुसार इसे रिवाइज करें।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

नकली बीज, कीटनाशक के खिलाफ आगामी बजट सत्र में आएगा सख्त बिल : केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि नकली बीज, खाद और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र में इस विषय पर एक विशेष विधेयक (Bill) लाया जाएगा, ताकि ऐसे तत्वों पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके जो किसानों के हितों से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब कोई भी किसान ठगी का शिकार नहीं होगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्लोबल विकास ट्रस्ट (जीवीटी) कृषि कुल सिरसला में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के साथ संवाद करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, राहत उपायों और आगामी कृषि सुधारों की जानकारी साझा की।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना की राशि की पाई-पाई दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष असमय बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, परंतु सरकार सजग है।

जलवायु अनुकूल बीज और प्राकृतिक खेती पर जोर

श्री चौहान ने कहा कि बदलते मौसम के प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों का विकास किया जा रहा है, जो अधिक बारिश या सूखे दोनों परिस्थितियों में टिके रहें। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती अपनाने का आग्रह किया, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और भविष्य की पीढ़ियाँ स्वस्थ पर्यावरण में खेती कर सकें।

एकीकृत खेती से बढ़ेगी आय

श्री चौहान ने किसानों से खेती के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे विकल्प अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटे जोत वाले किसानों के लिए यह आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ये घोषणा किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुन: स्थापित करता है। नकली कृषि इनपुट्स पर सख्त कार्रवाई, फसल बीमा की पारदर्शिता, जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह प्रयास भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ और किसान-केंद्रित बनाने की ओर एक ठोस कदम है।

रबी के लिए यूरिया का 68 लाख टन बफर स्टॉक

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत सरकार उर्वरक विभाग ने खरीफ 2025 के दौरान देश भर में यूरिया सहित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स यानी भारतीय रेलवे, बंदरगाहों, राज्य सरकारों और उर्वरक कंपनियों के साथ समय पर योजना और करीबी समन्वय के माध्यम से, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को बिना किसी कमी के यूरिया की आवश्यक मात्रा मिले। यह इस बात से साफ है कि कृषि विभाग के आकलन के अनुसार 185.39 एलएमटी की आवश्यकता की तुलना में डीओएफ ने 230.53 एलएमटी की उपलब्धता सुनिश्चित की। यह 193.20 एलएमटी की बिक्री से कहीं ज़्यादा थी। यह पूरे भारत में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है। जाहिर है, किसानों ने खरीफ-2025 में खरीफ 2024 की तुलना में लगभग 4.08 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया है।

घरेलू उत्पादन और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने आयात बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए। अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच, भारत ने 58.62 लाख मीट्रिक टन एग्रीकल्चर-ग्रेड यूरिया आयात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 24.76 लाख मीट्रिक टन था। आयात में इस बढ़ोतरी से न केवल खरीफ 2025 के दौरान यूरिया की बढ़ी हुई मांग पूरी हुई, बल्कि आने वाले रबी सीज़न के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाने में भी सहायता मिली।

परिणामस्वरूप कुल यूरिया स्टॉक एक अक्टूबर 2025 को 48.64 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 31 अक्टूबर 2025 तक 68.85 लाख मीट्रिक टन हो गया - जो 20.21 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है।

घरेलू यूरिया उत्पादन में भी सुधार हुआ है, अक्टूबर 2025 में उत्पादन 26.88 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 1.05 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। अप्रैल-अक्टूबर के बीच औसत मासिक उत्पादन लगभग 25 लाख मीट्रिक टन रहा। इसके अलावा, नवंबर और दिसंबर के लिए लगभग 17.5 लाख मीट्रिक टन का आयात पहले से ही तय है और ग्लोबल लेवल पर समय पर हस्तक्षेप कर इसे और बढ़ाया जाएगा।

देश में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। असम के नामरूप और ओडिशा के तालचेर में दो यूरिया प्लांट बन रहे हैं, जिनकी सालाना क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन है।

श्री गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री संजय गर्ग ने 1 नवंबर, 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। श्री गर्ग को तीन दशकों से अधिक के विविध प्रशासनिक अनुभव के साथ कृषि, खाद्य रसद, रक्षा उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक संवर्धन, वित्त और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक योजना, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त है। श्री गर्ग ने बीआईएस के महानिदेशक का पदभार संभालने से पहले कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) में अतिरिक्त सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में सचिव के रूप में कार्य किया है।

एफएआई के नए चेयरमैन बने श्री शंकरासुब्रमण्यम

नई दिल्ली (कृषक जगत)। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के निदेशक मंडल की 31 अक्टूबर, 2025 को हुई बैठक में कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. शंकरासुब्रमण्यम को नया चेयरमैन चुना गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लि. के प्रबंध निदेशक डॉ. सिबा प्रसाद मोहंती, जो अब तक दो सह-अध्यक्षों में से एक थे, अब FAI के एकमात्र सह-अध्यक्ष होंगे।

श्री शंकरासुब्रमण्यम इससे पहले FAI के को-चेयरमैन और दक्षिणी क्षेत्र के चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। उर्वरक उद्योग में उनके पास 30 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है, विशेष रूप से फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक क्षेत्र में।

नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री शंकरासुब्रमण्यम ने कहा, 'एफएआई संसाधन दक्षता और संतुलित पोषण के माध्यम से नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम नीति निर्माताओं के साथ मिलकर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने की दिशा में काम जारी रखेंगे। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योग की प्रगति, लचीलापन और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।' एफएआई ने पूर्व अध्यक्ष श्री शैलेश सी. मेहता के नेतृत्व के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वे आगे भी उद्योग की दिशा में मार्गदर्शन देते रहेंगे।

वर्ष 1955 में स्थापित FAI एक गैर-लाभकारी शीर्ष संस्था है, जो उर्वरक निर्माता, वितरक, आयातक, उपकरण निर्माता, अनुसंधान संस्थान और आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारत के उर्वरक एवं कृषि-इनपुट क्षेत्र में नीतिगत चर्चाओं और उद्योग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 14 नवम्बर से गुंटूर में

दो दिवसीय आयोजन, 400 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत के मसाला उद्योग के भविष्य को नई दिशा देने वाला चौथा राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन (National Spice Conference 2025) इस वर्ष 14 और 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित आईटीसी वेलकम होटल में आयोजित किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन की मेजबानी वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गनाइजेशन (WSO) करेगी।

इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय- "The Spice Route Ahead: Safe, Sustainable and Scalable" रखा गया है। इस विषय के जरिए खाद्य सुरक्षा, सतत उत्पादन और मसाला क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

समाधान योजना में 92 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने किया 'समाधान योजना 2025-26' का शुभारंभ

भोपाल (कृषक जगत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के 90 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए। इस योजना में तीन माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू,कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।

समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों यथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर हेतु https://www.mpez.co.in/ एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर हेतु https://www.mpez.co.in/ पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।

घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है। साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

डिफाल्टर होने पर लाभ से होंगे वंचित

किश्तों में भुगतान करने के लिये पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रथम बार यदि किसी भी किश्त का निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे विलम्बित हुई किश्त की राशि के साथ, उसी राशि पर विलम्बित अधिभार का भुगतान, आगामी किश्त की तिथि के पूर्व करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 2 किश्तों का भुगतान, दूसरी किश्त की निर्धारित नियत तिथि तक नही किया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता को डिफाल्टर माना जायेगा। डिफाल्टर होने पर योजना के लाभ से वंचित किया जायेगा। बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार यदि देय हो तो विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा, जो उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।

किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि

पंजीकरण कराने के बाद प्रथम किश्त का भुगतान, आगामी विद्युत बिल की नियत तिथि तक सुनिश्चित करना होगा। कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों के भुगतान के लिये नियत तिथि, प्रत्येक माह की अंतिम कार्यालयीन दिवस रहेगी। प्रथम किश्त का भुगतान करने के पश्चात, उपभोक्ता को शेष किश्तों का भुगतान उनके आगामी मासिक बिजली बिलों की नियत तिथि तक ही सुनिश्चित करना होगा।

छूट का विवरण

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	बकाया राशि भुगतान के विकल्प	बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट (% में)	
			3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक (प्रथम चरण)	1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक (द्वितीय एवं अंतिम चरण)
1.	1-एल.वी.-1 (घरेलू-स्थाई एवं अस्थाई संयोजन) एल.वी.-5 (कृषि), एच.वी-5 (केवल कृषि),	एकमुश्त भुगतान	100%	90%
		6 किश्तों में भुगतान	70%	60%
2.	एल.वी-2 (गैर-घरेलू), एल.वी.-4 (LT औद्योगिक), एच.वी.-3&4(HT औद्योगिक)	एकमुश्त भुगतान	80%	70%
		6 किश्तों में भुगतान	60%	50%

प्रदेश में 14 नवम्बर से शुरू होगा राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह : श्री सारंग

भोपाल (कृषक जगत)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 14 से 20 नवम्बर राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री सारंग ने कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह की थीम 'आत्मनिर्भर भारत के माध्यम के रूप में सहकारिता' निर्धारित की गई है। यह विषय आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित करता है। विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण ऋण, सूक्ष्म-उद्यम, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समावेशी एवं सतत विकास का भी आधार बन रही है।

होंगे जन-जागरण कार्यक्रम

श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता सप्ताह के दौरान ऐसे जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिनसे आम नागरिकों में सहकारिता के प्रति रुचि और जुड़ाव बढ़े।

विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि नागरिक बैंकों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस दिशा में महाराष्ट्र के विशेषज्ञों के साथ एक विशेष विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया जाये। श्री सारंग ने कहा कि उपार्जन और खाद वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरलीकृत करने के लिये उपयोगी संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।

बैठक में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक उपभोक्ता संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक बीज संघ श्री महेन्द्र दीक्षित सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं।

- स्वामी विवेकानन्द

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा जरूरी !

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई हानि से किसानों को नियमानुसार किए गये बीमा की राशि उपलब्ध कराना है ताकि उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। यदि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो उन्हें सूदखोरों या बैंक से कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन अनेक प्रकरणों में यह देखा गया है कि देश में हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या के अन्य कारण भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण कर्ज और प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होना भी है। फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन जब किसानों को फसल बीमा की राशि निर्धारित राशि बहुत कम मिलती है तब यह योजना किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन का मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने में असफल रहती है। इसके लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी और बीमा कम्पनी ही जिम्मेदार होते हैं जो बीमा की राशि इतनी कम तय करते हैं कि उस राशि से एक कप चाय तक नहीं पी सकते। यह सुनने और पढ़ने में अजीब लग सकता है लेकिन वास्तविकता यही है कि काफ़ी संख्या में फसल बीमा धारक किसानों को फसल बीमा की राशि मात्र 1 रूपया तक प्राप्त हुई है। क्या यह संभव है कि किसानों की फसल का इतना कम नुकसान हुआ था कि मुआवजा केवल 1 रूपया ही तय किया गया ? इससे फसल बीमा का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की इन्हीं विसंगतियों और खामियों के निराकरण के उद्देश्य से पिछले दिनों ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं और किसानों की परेशानियों का समाधान करने पर जोर देते कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की राशि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपये, 21 रुपए का भुगतान वास्तव में किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने फसल बीमा योजना की खामियों और बीमा की कम राशि मिलने को गम्भीरता से लिया है तथा बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि फसल के नुकसान का आकलन सही तथ्यों के आधार पर करें और किसानों को समय पर एक साथ दावा का भुगतान करें ताकि पीड़ित किसानों को तुरंत राहत मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2018 में आरम्भ हुई थी तथा इन वर्षों में योजना के तहत लगातार शिकायतें आती रही हैं लेकिन कोई कारगर समाधान नहीं किया। किसान परिवार से सम्बद्ध श्री चौहान ने इस दिशा प्रयास शुरू किए हैं तो यह उम्मीद क़ी जा सकती है कि प्राकृतिक आपदा से फसल क़ो हुए नुकसान का सही आकलन, बीमा की राशि का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारण और क्लेम के भुगतान में सुधार होगा। वास्तव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में वरदान की तरह है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी विसंगतियाँ उजागर हुई हैं जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद है या बीमा कंपनियों के लिए। जिस तरह से बीमा की राशि तय की जा रही है, इससे तो यही महसूस होता है कि फसल बीमा योजना से बीमा कम्पनियाँ ही लाभ कमा रही हैं। दरअसल फसल क़ो हुए नुकसान का आकलन करने का एक सर्वमान्य फार्मूला बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, क्षति के आकलन का रिमोट सेंसिंग का जो आधार है, उसमें प्रमाणिकता कितनी है, इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जानी चाहिए। योजना की गाइड लाइन में भी बहुत कम राशि के लिए बीमा होने जैसे प्रावधान का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार इसे संशोधन करने की आवश्यकता है। फसल क़ो हुए नुकसान के सर्वे के समय बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी जरूर उपस्थित रहना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए व किसान को हुए वास्तविक नुकसान के आधार पर दावा का समय पर भुगतान मिल सके इसके लिए योजना की शर्तों के अनुसार भी राज्यों क़ो भी अपने हिस्से की राशि समय पर जमा करवाई जाए, ताकि फसलों के नुकसान की स्थिति में पीड़ित किसानों को उनकी क्लेम राशि समय पर मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री का यह सवाल भी वाज़िब है क़ि अनेक राज्य योजना के कार्यान्वयन के अपना अंश समय पर जमा नहीं करते हैं जिसके कारण योजना का लाभ किसानों क़ो समय पर नहीं मिल पाता और ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फूटता है। श्री चौहान ने सुझाव दिया है क़ि किसानों को तकनीक से जोड़ना पड़ेगा, जिससे योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसान भी जागरूक रहें ताकि कहीं भी गड़बड़ियां नहीं होने की गुंजाइश बाकी नहीं रहे।

विश्व मछुआरा महिला दिवस

मछुआरा महिलाओं का संघर्ष : सवाल जो अब भी अनसुने हैं

● लता प्रतिभा मधुकर

हर साल 5 नवंबर को विश्व मछुआरा महिला दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर बधाइयाँ तो मिलती हैं, पर असली सवाल अब भी अनुत्तरित हैं-महिला आंदोलनों और जन आंदोलनों में मछुआरा महिलाएँ और उनका नेतृत्व आखिर कहाँ है? उनके मुद्दे, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएँ, उनकी अस्मिता—इन सबको मुख्यधारा की चर्चाओं में जगह क्यों नहीं मिलती?

यह सच है कि विश्व स्तर पर मछुआरा महिलाएँ संगठित हो रही हैं और तटीय नियमन, विस्थापन, पुनर्वास तथा आजीविका जैसे मुद्दों पर संघर्ष भी जारी है। लेकिन भारत में मछुआरा स्त्रियों के संघर्ष को केवल इन्हीं सवालों तक सीमित कर देना, उनके व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक और जाति-आधारित अनुभवों की अनदेखी है। एक तरफ ऊँची जातियों का स्त्रीवादी विमर्श उनके जीवन पर शोध-पत्र लिखकर पर्यावरणीय बहसों में सम्मान अर्जित करता है; दूसरी ओर स्वयं मछुआरा महिलाओं की आवाज़, नेतृत्व और उपस्थिति इन विमर्शों में लगभग अदृश्य है।

यह समुदाय सिर्फ आजीविका का प्रतीक नहीं है-यह एक सांस्कृतिक और जाति-आधारित उत्पादन संसार है। सवाल यह है कि क्या हम इसे उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं? या फिर कोली गीतों को केवल मनोरंजन, लोक-नृत्य और मंचीय प्रदर्शन तक सीमित कर देंगे—बिना यह समझे कि उनमें समुद्र, जोखिम, श्रम और स्मृति की जीती-जागती भाषा बोलती है। पूर्णिमा मेहर का नाम मछुआरा महिलाओं के नेतृत्व में प्रमुख रूप से जाना जाता है। वे समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रहीं और उन्होंने सैकड़ों मछुआरा महिलाओं को संगठित करने का कठिन, लगातार और धैर्यपूर्ण काम किया। लेकिन यह भी सच है कि मुख्यधारा के अधिकांश महिला

और जन आंदोलनों में उनका नाम, उनका कार्य और उनके साथ संघर्ष करने वाली स्त्रियाँ आज भी लगभग अनजान हैं। यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तथाकथित जन आंदोलनों की प्रवृत्ति अक्सर एक चेहरा, एक नेतृत्व और एक वर्ग की प्रतिनिधिक छवि पर ही टिक जाती है। आंदोलन की भीड़ में शामिल वे स्त्रियाँ जो समुद्र के ज्वार-भाटे की तरह रोज़ जीवन की लड़ाई लड़ती हैं, उन्हें आंदोलन की भाषा में अक्सर सिर्फ 'जनसमर्थन' या 'संख्या' के रूप में दर्ज किया जाता है-नेतृत्व और विचार की साझेदार के रूप में नहीं। यानी संघर्ष में वे शरीर हैं, लेकिन नेतृत्व में उनकी आवाज़ अनुपस्थित है।

क्या इसलिए मछुआरा महिलाओं को मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में वह जगह नहीं मिली, क्योंकि उनका संघर्ष केवल वर्ग और रोजगार के प्रश्न तक सीमित नहीं, बल्कि जाति, श्रम और आजीविका की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा है? जिन महिलाओं के हाथ समुद्र की नमक-गंध और मछली के श्रम से पहचाने जाते हैं, उन्हें अक्सर उन आंदोलनों में जगह नहीं मिली, जिनका नेतृत्व लंबे समय तक ऐसे वर्गों के हाथों में रहा जो प्याज़-लहसुन से लेकर मछली और मांस तक से परहेज़ को 'शुचिता' का हिस्सा मानते रहे। परिणाम यह हुआ कि मछली या मांस बेचकर अपना घर चलाने वाली स्त्रियाँ महिला आंदोलन की परिधि में धकेल दी गईं।

भारत का महिला आंदोलन आज तक लगभग 70 प्रतिशत मांसाहारी, मछली खाने वाली और उत्पादन-आधारित महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करता आया है। यही सच्चाई है, क्योंकि इन का नेतृत्व मांस-मछली से परहेज रखनेवाली शाकाहारी ब्राह्मणवादी मानसिकता की उच्चवर्णीय महिलाओं के हाथों में है।

इसलिए सोचिए कि क्यों भारत की मछुआरा महिलाओं को उच्च शिक्षा और नेतृत्व के अवसर नहीं मिलते? जैसे वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन, फिलिपींस, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में हमें दिखाई देता है।

विश्व मछुआरा महिला दिवस पर सवाल यही है कि मछुआरा महिलाओं का नेतृत्व, उनकी आवाज़ और उनके संघर्ष आज भी मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में जगह क्यों नहीं पाते? समुद्र किनारे खड़ी ये महिलाएं सिर्फ आजीविका नहीं, जाति, श्रम और अस्तित्व की जंग लड़ रही हैं।

वर्ल्ड फिश वर्कर्स फोरम में भारत की कितनी मछुआरा महिलाएं हैं? जो हैं, क्या वे मछुआरा समुदाय से हैं? या उनको संगठित करनेवाली या उनपर रिसर्च करने वाली खुद को भद्र कहने वाली महिलाएं है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन देशों का हमने उदाहरण दिया—जैसे श्रीलंका, फिलिपींस, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम—वहाँ मछुआरा महिला आंदोलन का नेतृत्व स्वयं मछुआरा महिलाओं के हाथ में है। वहाँ उनके संघर्ष और एजेंडा को किसी ऊँची जाति या बाहरी नेतृत्व के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। भारत में समस्या यह नहीं कि मछुआरा महिलाएँ संघर्ष नहीं कर रहीं। समस्या यह है कि उनके संघर्ष की बागडोर अक्सर उनके हाथों में नहीं होती।

लगभग सभी मछुआरे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जैसे कि हमारे देश के लगभग 90 प्रतिशत किसान भी ओबीसी हैं। लेकिन 'किसान महिला', 'असंगठित मज़दूर महिला' या 'मछुआरिन' के नाम पर बने वर्गीय संगठनों ने उनकी उत्पादक जाति-आधारित अस्मिता को अक्सर नज़रअंदाज़ किया। वामपंथी वर्ग आधारित स्त्रीवाद ने भी इस पहचान को केंद्र में रखने के बजाय सिर्फ श्रम के सवाल के रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण भारत में, केरल और बंगाल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो मछुआरा संगठनों के राष्ट्रीय नेतृत्व में उच्च जाति की महिलाएँ लगभग अनुपस्थित हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला आंदोलन के पचास वर्ष पूर्ण होने पर महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति परिषद का गठन किया गया। इसमें कई स्त्री संगठन जुड़े, लेकिन इनमें अब भी अनेक समुदायों की महिलाओं की उपस्थिति और उनके मुद्दों का उल्लेख लगभग अनुपस्थित है। महिला आंदोलन ने उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पर काम करने की बजाय, अधिकतर उनके जीवन पर शोध और रिपोर्ट बनाने को प्राथमिकता दी—क्योंकि उनके नाम पर फंडिंग प्राप्त करना संभव था। ऐसे कई एनजीओ और संस्थाएँ खड़ी हुई, जिनमें इन समुदायों की महिलाओं को न तो संगठन में शामिल किया गया और न ही निर्णय-प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका रही। उनके नाम, श्रम और अनुभवों का इस्तेमाल हुआ—पर आवाज़ और नेतृत्व नहीं दिया गया। इसलिए मूल सवाल अब भी बना हुआ है— महिला संगठनों में सक्रिय सदस्य और नेतृत्व की भूमिका में कितनी मछुआरा महिलाएँ वास्तव में मौजूद हैं? (सप्रेस)

शहद उत्पादन कैसे बढ़ायें ..?

- डॉ. विवेक सिंह तोमर
- दीपिका नेमा
- डॉ. राजेश वर्मा

स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर, श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्ववि., सीहोर, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर

virus.tomar@gmail.com

शहद उत्पादन हेतु जहां एक ओर भौनचर पुष्पों की उपलब्धता आवश्यक है वहीं मौनवशों का समयानुसार उचित प्रबंध भी आवश्यक होता है। अधिकतम शहद उत्पादन हेतु किये जाने वाले प्रबंधन कार्य निम्न लिखित हैं –

उत्तेजनात्मक खुराक

शरद एवं बसंत ऋतु के पूर्व अनुपूरक खुराक एवं पराग अनुपूरक दिया जाना चाहिये जिससे शिशु पालन को बढ़ाया जा सके एवं मधुमक्खियों को बाहर जाने हेतु प्रेरित किया जा सके।

मौनगृहों में पर्याप्त स्थान का होना

मौनगृहों में शहद एवं पराग कणों को एकत्रित करने के लिये तथा रानी को अण्डे देने के लिये पर्याप्त स्थान की उपलब्धता का ध्यान हमेशा रखना चाहिये।

बकछूट नियंत्रण

सितबर- फरवरी-मार्च के माह में जब मौनवशों में मक्खियों की संख्या में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है इस दौरान यदि वंशों को बकछूट से बचाने के उपाय नहीं करें तो मधुमक्खी पालक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अत: बकछूट नियंत्रण एवं बकछूट किये वंशों को पकड़ने से संबंधित प्रबंधन कार्य करना अति आवश्यक होता है

नर मक्खियों की संख्या नियंत्रित करना

नरमक्खी श्रमिकों की तुलना में 8-10 गुना तक खाना खाती है इसलिये जब इनकी आवश्यकता हो तब इनकी संख्या पर नियंत्रण करना चाहिये जो शिशुओं को नष्ट कर या नर पकड़ प्रपंच लगा कर किया जा सकता है।

दो रानी पद्धति

दो रानियां एक वंश में जो एक दूसरे से रानी रोक पट्ट द्वारा अलग की हुई होती हैं इस प्रकार एक रानी शिशुका में एवं एक रानी सुपर कक्ष में होती है। इससे वंश वृद्धि अधिक तेजी से होती है।

वायु संचार की व्यवस्था

मौनगृहों में उचित वायु संचार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे एकत्रित किया गया शहद में नमी को कम करने हेतु मक्खियों को अतिरिक्त श्रम ना करना पड़े एवं पके शहद की निकासी कम समय में की जा सके।

मधुमक्खियों की संख्या के लिये प्रबंधन

मुख्य शहद प्रवाह के 40 दिन पहले मौन वंशों में मधुमक्खियों की संख्या अधिक होना चाहिये यह प्रबंधन दो वंशों को मिलाकर या कमजोर वंश को मजबूत वंश में मिलाकर किया जाना चाहिये। क्योंकि अधिक शहद प्राप्ति हेतु मौनवशों का अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिकल्पना के अनुसार 10,000 श्रमिक मक्खियों का वजन 1 किलोग्राम के लगभग होता है तथा शहद उत्पादन मौनगृह में मौजूद मक्खियों की संख्या के कुल वजन के वर्ग के बराबर होता है।

स्थानांतरण मधुमक्खी पालन

मौनचर पुष्पों की उपलब्धता पूरे वर्ष एक सी नहीं होती है। अत: व्यवसायिक मौन पालन हेतु स्थानांतरण मौनपालन का अपनाना आवश्यक होता है। इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- स्थानांतरण के एक सप्ताह पूर्व मधु निकासन कर लिया जाना चाहिये।
- मौन गृहों को स्थानांतरण के पूर्व अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिये जिससे स्थानांतरण के दौरान मक्खियां बाहर नहीं निकलें परंतु मौनगृहों में वायु संचार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।
- मौनगृहों का स्थानांतरण रात के समय ही किया जाये।
- स्थानांतरण के लिये उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ी अच्छी होना चाहिये तथा मौनगृहों को इस प्रकार लोड किया जाये जिससे इसके अंदर के छातों में कम से कम झूलेदार गति हो। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये इससे शहद उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है।

रानी मक्खी की गुणवत्ता

रानी मक्खी को तीन प्रजनन ऋतु या 18 माह कम से कम 24 माह अधिक से अधिक बाद बदल देना चाहिये। इसके लिये बसंत के पहले का समय उचित होता है ताकि बसंत ऋतु में शहद प्रवाह के पूर्व वंश शक्तिशाली हो जाये एवं अधिक शहद प्राप्त किया जा सके साथ ही बकछूट का भय भी ना रहे।

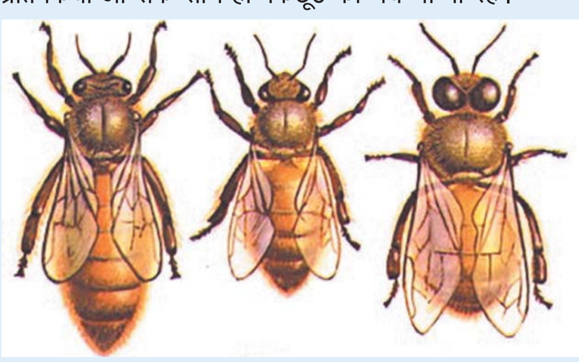

कृषक जगत द्वारा प्रकाशित फसल पुस्तक श्रृंखला

जैविक खेती समृद्ध कृषक 60/- | भण्डारण के वैज्ञानिक तरीके 40/- | एकीकृत कीट प्रबंधन 60/- | मधुमक्खी पालन 60/- | जायद फसलें 60/- | सरसों 50/- | मसाला फसलें 70/-

सदाबहार खेती 90/- | चना 60 | मृदा उर्वरता मैनुअल 60/- | खेती के उन्नत तरीके (खरीफ फसल) 60/- | खेती के उन्नत तरीके (रबी फसलें) 60/- | सोयाबीन अनुसंधान तकनीक 70/- | बाजरा की वैज्ञानिक खेती 50/-

रबी तिलहनी फसलें अलसी, कुसुम 60/- | मसूर, मटर एवं मोठ की उत्पादन तकनीक 60/- | लघु धान्य फसलों की उत्पादन तकनीक 50/- | कौशल विकास दिग्दर्शिका 60/- | गेहूं उत्पादन तकनीक 60/- | एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रबंधन 60/- | पौध संरक्षण (खरीफ-रबी फसल सहित) 60/-

नाम .... ग्राम ....
पोस्ट .... तह. .... जिला.............
फोन/मोबा. .... कुल राशि........................
ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या/संलग्न ड्रॉफ्ट नं. ....
मनी ऑर्डर क्र. .... वी.पी. भेजें।

नोट : कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम नीचे लिखे पते पर भेजें

प्रधान कार्यालय : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011
फोन: 0755-4248100,2554864, मो. : 9826255861
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर
मो. : 09826021837

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

फलों का फटना एवं नियंत्रण

● उपेन्द्र यादव, फल विज्ञान विभाग
चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
ईमेल : upendray123123@gmail.com

फलों का किसी कारण से फटना 'स्प्लिटिंग' कहलाता है। यह समस्या प्रायः सेब, चेरी, खजूर, अंगूर, अंजीर, लीची, अनार और नारंगी जैसे फलों में देखने को मिलती है। फल का फटना/चटकना एक क्रमिक प्रक्रिया है और यह तीन चरणों में होती है, फल के चटकने का प्रारंभिक, मध्य और बाद का चरण। प्रारंभिक चरण में फल की सतह पर भूरे रंग की एक रेखा या पट्टी उभरने लगती है। इसके बाद सतह पर हल्की दरारें दिखाई देने लगती हैं, जिससे फल की तेल ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो तेल ग्रंथियाँ गंभीर रूप से फट जाती हैं, और इसके परिणामस्वरूप फल की बाहरी सतह एवं कोशिकाएँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फटने के बाद, सतह की कोशिकाओं के बीच बड़ा रिक्त स्थान बन जाता है, जिससे फल की बनावट पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

फल फटने के प्रकार

- चेरी में फल के ऊपरी भाग पर सूक्ष्म अर्धचंद्राकार दरारें बन जाती हैं।
- नींबू और लेमन में फलों के किनारों पर असामान्य फटने की स्थिति देखी जाती है।
- टमाटर में डंठल के चारों ओर गोल या अर्द्धगोलाकार फटन होती है।
- कागजी नींबू में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गहरी दरार पड़ जाती है।
- लीची जैसे कुछ फलों में डंठल वाले छोर पर सामान्यतः फटन देखने को मिलती है।

फल फटने के मुख्य कारण

नमी : जब लम्बे समय तक सूखा रहता है और अचानक वर्षा होती है, तो फल अधिक पानी सोख लेते हैं। इससे फलों के अंदर रस की मात्रा बढ़ जाती है और फल फट जाते हैं।

तापमान : अधिक तापमान और सूखी मिट्टी के बाद अचानक अधिक पानी देने या वर्षा होने पर फलों की बाहरी परत सख्त हो जाती है और अंदर के ऊतक फैलने से फल फट जाते हैं।

हवा: तेज और गर्म हवाएँ विशेषकर लीची के फलों में फटन का कारण बनती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैदानों में लीची की खेती कम होती है।

परिपक्वता : फलों में शर्करा और ठोस पदार्थ बढ़ने के साथ उनका फटना भी बढ़ता है।

पोषक तत्वों की कमी : बोरोन की कमी से चेरी और ताँबे की कमी से नींबू वर्ग के फल फटने लगते हैं।

कीट व रोग : कीड़े और बीमारियाँ छोटे फलों पर आक्रमण कर उन्हें कमजोर बना देती हैं, जिससे बढ़ने के साथ वे फट जाते हैं।

यांत्रिक कारण : ठंडे और अधिक नम वातावरण में नींबू वर्ग के फलों के अंदर-बाहर तेल का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे फल काले पड़कर फट जाते हैं।

नियंत्रण के उपाय

नियमित सिंचाई और निराई-गुड़ाई : फल लगने से पकने तक निश्चित समय पर सिंचाई व निराई करने से समस्या को रोका जा सकता है।

रासायनिक उपचार: बोर्डो मिश्रण, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम एसीटेट जैसे रसायनों का उपयोग लाभकारी है।

- 0.1 प्रतिशत कॉपर सल्फेट से 2 प्रतिशत
- 0.1 प्रतिशत कैल्शियम हाइड्रेट से 16 प्रतिशत तक फल फटने की समस्या कम की जा सकती है।

हार्मोन छिड़काव: फल पकने से 10 दिन पहले 1.0 पीपीएम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करने से लगभग 60 प्रतिशत फल फटने से बच सकते हैं।

तेल का प्रयोग : 'ऑरेंज रिंड ऑयल' का छिड़काव कम तापमान और अधिक नमी की स्थिति में किया जाए तो फटन कम होती है।

जल्दी तोड़ाई : यदि फलों को पूर्ण आकार प्राप्त होने के बाद, परंतु पूरी तरह पकने से पहले तोड़ लिया जाए तो वे फटने से बच सकते हैं।

अन्य उपाय

- तेज हवाओं से बचाव हेतु बगीचे के चारों ओर वायु अवरोधक वृक्ष लगाएँ।
- कीट व रोगों पर नियंत्रण रखें।
- फटन-प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।
- पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाएँ।
- बगीचे में रासायनिक व जैविक उपचार अपनाएँ।

भारत में फल फटना एक गंभीर समस्या है, जिससे उत्पादन और बाजार मूल्य दोनों कम हो जाते हैं। उपरोक्त उपायों के माध्यम से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे फल की गुणवत्ता, उपज और किसानों की आय, तीनों में सुधार संभव है।

खीरे को कीट, मुरझाने से बचाएं

खीरे की खेती में प्रमुख समस्याएं

मौसम-संबंधी विसंगतियों के अलावा, खीरे की फसलों को पोटीवायरस, ZYMV, WMV, MWMV, PRSV, CMV, बैक्टीरियल विल्ट, ऐंगुलर लीफ स्पॉट, रुट नॉट डिजीज, डाऊनी मिल्ड्यू, पाऊडरी मिल्ड्यू, ककंबर अल्टरनेरिया लीफ, धारीदार और चित्तीदार ककंबर बीटल, और एफिड्स से खतरा रहता है। इनमें से बैक्टीरियल विल्ट खीरे की खेती करने वालों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। बैक्टीरियल विल्ट का अटैक तब होता है जब वसंत ऋतु में ककंबर बीटल खीरे के पौधों पर चरते हैं। वे पौधे को बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं जो पौधे को धीरे-धीरे सुखा कर मार डालते हैं।

बचाव का तरीका

इस का समाधान ग्रोइट के क्रॉप कवर्स, जो खीरे के पौधे में बैक्टीरिया का कारण बनने वाले कीटों, और उनके कारण फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ काफी प्रभावी हैं, की स्थापना में निहित है। खीरे की खेती के लिए ग्रोइट के क्रॉप कवर का उपयोग करने से ये बीटल पौधों से दूर रहते हैं, जिससे पौधों के मुरझाने का खतरा कम हो जाता है।

भारत में सुरक्षात्मक खेती के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली ग्रोइट इंडिया के क्रॉप कवर ने विभिन्न पर्यावरणीय, जैविक और रसायनिक खतरों की चिंता किए बिना बेहतर गुणवत्ता वाले खीरे उगाना अब संभव बना दिया है। ग्रोइट के क्रॉप कवर यूवी-उपचारित होने के साथ-साथ नॉन-वोवन सामग्री के बने होते हैं, जिसकी वजह से वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ग्रोइट के क्रॉप कवर ग्रोइट की ही प्लास्टिक मल्च फिल्मों के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार काम करते हैं कि सबसे वैज्ञानिक और स्वस्थ तरीके से खीरे उगाने के लिए पूरी तरह से योग्य बन जाते हैं।

क्रॉप कवर कब और क्यों हटायें

ग्रोइट के क्रॉप कवर बीजों को विधिवत तैयार की गई क्यारियों में लगाए जाने के बाद खड़े किए जाते हैं। फाईबर स्टिक्स एक दूसरे से कम से कम 12 से 15 फीट की दूरी पर रखी जाती हैं, और तीनों तरफ एग्री थ्रेड बाँधा जाता है। नॉन-वॉवन क्रॉप कवर इनके ऊपर लगाया जाता है, जिसे स्थिर रखने के लिए इसके बाद प्लास्टिक क्लिप को लगाए जाते हैं। इन्हें अक्सर पौधों पर नर और मादा फूल दिखाई देने पर हटाया जाता है ताकि पौधों के मित्र कीटों को परागण की प्रक्रिया का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हो सके, जिसके बिना हमें हमारे खीरे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन, उत्पन्न होते ही क्रॉप कवर को हटाने पर भी बैक्टीरियल विल्ट खतरे पर पूर्ण नियंत्रण के लिए फूलों के प्रकट होने के बाद इन क्रॉप कवर्स को थोड़ी देर तक लगे रहने दें। क्रॉप कवर के अंदर परागणकों (मधुमक्खियों) को सम्मिलित करना खीरे के किसानों के लिए अन्य विकल्प हैं ।

ग्रोइट के नॉन-वोवन क्रॉप कवर के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- वेबसाइट https://www.thegrowit.com या ग्रोइट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।

आधुनिक दुधारू पशु प्रबंधन

स्वास्थ्य, पोषण और उत्पादन क्षमता

● निकिता शर्मा ● अनुभूति द्विवेदी
टीचिंग असिस्टेन्ट डेयरी पालीटेक्निक, बेमेतरा
● अंकुर त्रिवेदी
सहायक प्राध्यापक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
● चंद्रहास साहू
सहायक प्राध्यापक, दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर
ercsahu2003@yahoo.com

दुग्ध प्रबंधन के चार मुख्य स्तंभ हैं

● प्रजनन ● पोषण ● आवास ● छंटनी

पशुओं का आहार

दुग्ध उत्पादन की पूरी अवधि के दौरान दुधारू पशुओं की दुग्ध प्रबंधन के लिए दूध का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। ब्यांत के बाद और शुरुआती दुग्धकाल के दौरान दुधारू पशु के उचित प्रबंधन का विशेष महत्व है।

प्रबंधन के सिद्धांत

ब्याने के तुरंत बाद और पहले कुछ दिनों के लिए सुपाच्य आहार और गुनगुना दलिया खिलाया जाना चाहिए। इस समय पशु को अलग से रखा जाना चाहिए। थनों को खाली करने के बारे में विशेष ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि लगातार खाली करने से जानवरों में दूध के बुखार की घटना हो सकती है।

● स्तनपान के शुरुआती चरणों के दौरान नियमित रूप से शरीर के वनज और स्थिति की निगरानी करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस दौरान पशु अत्यधिक शारीरिक स्थिति (बॉडी कंडीशन) नहीं खोता है क्योंकि इससे लीवर में वसा का जमाव हो सकता है जिसे 'फैटीसिंड्रोम' भी कहा जाता है।

● दूध सबसे अधिक सस्ते रूप में चारे से उत्पन्न होता है। इसलिए हर साल हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

● दलहनी और गैर-गैरदलहनी चारे का एक संयोजन 400 किलो वनज वाली गाय के रखरखाव और उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा है और केवल 1 किलोग्राम के बांटे के साथ 8 लीटर दूध तक उपज देता है। गैर फलीदार चारा खिलाने के लिए अतिरिक्त आधा किलो बांटे की आवश्यकता होगी। उसी गाय को यदि सूखी घास खिलाया जाता है तो उसे क्रमशः 5 और 4.5 किग्रा के अनुपात में बांटे मात्रा की आवश्यकता होगी।

● अधिक मात्रा में दूध देने वाली दुधारू गायों (20 लीटर/ दिन) के मामले में, बांटा और चारा 300 ग्राम प्रतिदिन के स्तर पर तेल/वसा के साथ पूरक किया जा सकता है।

● दूध का मध्यम स्तर हरे और सूखे चारे के एक उपयुक्त संयोजन पर बनाए रखा जा सकता है। पुआल और हरे चारे के मिश्रण को खिलाते समय, यह जरूरी होगा यदि 1 किलो भूसे को प्रत्येक 100 किलोग्राम शरीर के वजन के लिए 4-5 किलोग्राम हरे चारे के साथ मिश्रित किया जाए। यदि प्रचुर मात्रा में गुणवत्ता वाला हरा चारा उपलब्ध नहीं है और राशन निम्न गुणवत्ता के पुआल/स्टोव पर आधारित है, तो अतिरिक्त बांटे/ कन्सन्ट्रेटफीड की आवश्यकता है।

● शुष्क पदार्थ के बराबर मध्यम उपज देने वाली दुधारू डेयरी गायों का चारा सेवन प्रति 100 किलोग्राम शरीर के वजन के बारे में 5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ है। अधिक उपज देने वाले पशुओं में शुष्क पदार्थ का सेवन 3-5 प्रतिशत या इससे अधिक हो सकता है।

● चारे को भूसा करके ही दिया जाये। हालांकि, बहुत अधिक भूसे से बचायें क्योंकि यह जुगाली प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28-30 प्रतिशत का योगदान सराहनीय है जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें एवं 55 प्रतिशत भैंसें हैं और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 54 प्रतिशत भैंसों, 42 प्रतिशत गायों और 3 प्रतिशत बकरियों से प्राप्त होता है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे-मवेशियों की नस्ल, पालन-पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में किये गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार-प्रसार का परिणाम है। भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिये पशुपालन पर आश्रित है। पशुओं के झुंड को उच्च, मध्यम और कम उपज में विभाजित किया जा सकता है और तदनुसार इन्हें संतुलित राशन विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले हरे चारे को पूरे साल खिलाया जाना चाहिए।

दुधारू मवेशियों का आहार और पोषण प्रबंधन
कुल मिश्रित राशन के लिए कण आकार की सिफारिशें

	छिद्र आकार (मिमी)	कण आकार (मिमी)	वजन के अनुसार प्रतिशत
ऊपरी छलनी	19.1	>19.1	2-8
मध्य छलनी	7.9	7.9-19.1	30-50
निचली छलनी	4.0	4.0-7.9	10-20
निचली छलनी	1.8	1.8-7.9	30-50
निचलापन	कोई नहीं	<4.0या <0.18	30-40या≤20

स्रोतः दुग्ध मवेशियों का आहार एवं पोषण प्रबंधन-प्रबंधन और पोषण-मर्क पशुचिकित्सा पुस्तिका

● बांट के अनाज वाले हिस्से को हल्का दलिया रूप में पीस दिया जाना चाहिए अन्यथा इसका कुछ हिस्सा मल में प्रकट हो सकता है। बांट मिश्रण को नम करने और खिलाने से पहले भूसे के साथ मिश्रण करना वांछनीय है।

● दुधारू गायों को स्वच्छ पेयजल मिले। उन्नत गर्भवती गायों और भैंसों को खिलाने के लिए उचित देखभाल भी की जानी चाहिए क्योंकि इन महत्वपूर्ण चरणों में पोषण प्रबंधन उम्र का निर्धारण करेगा और दुग्ध काल/लैक्टेशन के शुरुआती चरणों के दौरान उपयोग के लिए शरीर के भंडार का पर्याप्त निर्माण सुनिश्चित करेगा।

● जई, मक्का, गेहूं/धान के पुआल और बांटा (उत्पादन के स्तर के आधार पर) के साथ बरसीम का एक उपयुक्त संयोजन सर्दियों के दौरान दुधारू गायों और भैंसों को खिलाने की सबसे व्यावहारिक रणनीति है। ऐसे राशन की कुल सूखी सामग्री लगभग 22 प्रतिशत होनी चाहिए और कच्चे प्रोटीन की मात्रा लगभग 14 प्रतिशत होनी चाहिए।

● यदि पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध नहीं है और हमें पुआल पर निर्भर रहना है, तो हम विशेषज्ञ मार्गदर्शन में यूरिया के साथ इलाज करके भूसे की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

● लेग्युमिनस घास या पुआल के साथ हरेरंग का रसीला चारा एक साथ प्रदान करें, जिससे कि पशुओं की खपत हो सके। प्रत्येक 2 से 5 लीटर दूध के लिए 1 किलो की दर से अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। अच्छी मिल्किंग बनाए रखने के लिए नमक और खनिज की खुराक दी जानी चाहिए।

● भोजन की नियमितता बनाए रखें।

टीएमआर : पशुओं के लिए संतुलित पूर्ण मिश्रित आहार

टीएमआर (टोटल मिक्स्ड रेशन) एक ऐसा संतुलित आहार है जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाने मिलाकर पशुओं को एक साथ दिया जाता है। इससे पशुओं को सभी आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में मिलते हैं।

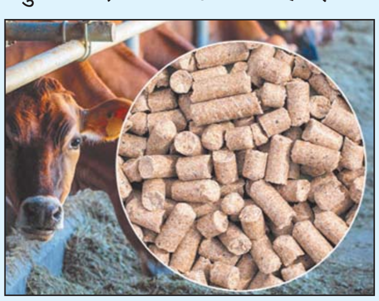

टीएमआर आहार सामान्य चारे की तुलना में 8-12 प्रतिशत तक अधिक लाभ देता है। इससे दूध उत्पादन बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और पशु स्वस्थ रहते हैं।

इस आहार को बनाने के लिए विशेष मशीनों से सभी चारे को सही अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण में नमी की मात्रा और कण आकार का ध्यान रखना जरूरी है। पशुओं को रोज़ साफ और ताज़ा टीएमआर दिया जाना चाहिए।

टीएमआर पद्धति से चारा बचता है, उत्पादन लागत घटती है और पशुओं की पोषण ज़रूरतें पूरी होती हैं — यह आधुनिक डेयरी प्रबंधन की एक प्रभावी तकनीक है।

दुधारू पशुओं में जेर का रुकना गंभीर समस्या

● पशुओं में ब्यांत के पश्चात जेर का रुकना एक गंभीर और आम समस्या है जिसके कारण पशु तथा पशुपालक दोनों को हानि होती होती है।

● जेर रुकने की समस्या मुख्यतः दुधारू पशुओं में अधिक देखने को मिलती है।

● पशुओं में जेर रुकने के फलस्वरूप गर्भाशय के भीतरी सतह में सूजन, गर्भाशय में सूजन और गर्भाशय में मवाद का भरना इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियाँ पनपती हैं जिससे कि पशुओं में बुखार, खाने में कमी, जनन क्षमता में कमी तथा दुग्ध उत्पादन अत्यधिक प्रभावित होता है जिससे किसान को हानि होती है।

● सामान्यतः पशुओं में ब्यांत के पश्चात तीन से आठ घंटे के भीतर ही जेर स्वतः धीरे-धीरे बाहर निकल जाती है, परन्तु यदि जेर आठ से बारह घंटे तक नहीं निकलती है तो यह जेर रुकने जैसी समस्या का सूचक है।

● पशुपालक को चौबीस घंटे तक जेर के निकलने का इन्तजार करना चाहिए और ना निकलने पर योग्य पशुचिकित्सक से सलाह और उपचार कराना चाहिए।

रोग का पूर्वानुमान

● जेर के रुकने से मादा पशुओं में मृत्युदर एक प्रतिशत से भी कम होती है परन्तु इसके फलस्वरूप पशुओं में शरीर का गिरना (वजन घटना), बांझपन, पशुपालक के आय श्रोत में कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी तथा दोबारा गर्भित होने में देर होना इत्यादि आम है।

● जेर के रुकने से गर्भाशय के आकार का पुनिर्माण देर से होता है और गर्भाशय में सूजन आ जाती है।

● जेर रुकने से मादा पशुओं में बांझपन का कारण गर्भाशय तथा अंडाशय में सूजन, गर्भाशय की भीतरी सतह में अत्यधिक क्षति का होना है।

उपचार एवं प्रबंधन

● जेर के रुकने का उपचार सामान्यतः चार प्रकार से किया जाता है- (क) हाथ से जेर को निकालना जिसमे योनि में हाथ डालकर जेर के लटकते भाग को पकड़कर हल्का जोर लगाकर खीचा जाता है जिससे जेर बाहर निकल जाता है, हाथ को योनि में डालने के पहले सफाई का खास ध्यान देना आवश्यक है जिससे संक्रमण का भय नहीं रहता है। इस विधि से कभी-कभी जेर पूरी नहीं निकल पाती और जेर का कुछ भाग गर्भाशय में ही रह जाता है जिससे पुनः गर्भाशय के संक्रमण का खतरा बन जाता है, जेर निकालते समय अधिक बल का प्रयोग करने से खून निकलता है और हानिकारक जीवाणुओं के विकास में मदद करता है।

(ख) इकबोलिक पदार्थ का प्रयोग, इसके प्रयोग से जेर के निकलने में तथा गर्भाशय के भीतर की गंदगी को निकलने में मदद मिलती है, इकबोलिक पदार्थ के उदाहरण ओक्सिटोसिंन, प्रोस्टाग्लैंडीन इत्यादि हैं।

(ग) गर्भाशय के भीतरी सतह में सूजन या गर्भाशय के सूजन का योग्य पशुचिकित्सक द्वारा उपचार कराना चाहिए।

(घ) कभी-कभी जेर के रुकने की समस्या बिना किसी उपचार के स्वतः ही ठीक हो जाती है और जेर गल कर अवशोषित हो जाती है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

● डॉ. अदिति गुप्ता, विषय वस्तु विशेषज्ञ (खाद्य एवं पोषण) कृषि विज्ञान केंद्र, चाँदगोठी (चुरू)

महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्रतिबद्धता 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के लिए गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने पर केंद्रित है और इसने महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। समावेशी और सतत विकास के केंद्र में महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है और उसी के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी विकास का उत्प्रेक है और उनकी भागीदारी दर किसी देश के और अधिक तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता को इंगित करती है। महिला श्रमबल भागीदारी और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध वर्णित किए की तुलना में परोक्ष रूप से कहीं बहुत अधिक सानुपातिक हैं। यह सुझाया गया है कि यदि भारत महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार करके लैंगिक समानता अंतर को पाट पाता है तो वह अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18 प्रतिशत (लगभग 770 बिलियन अमरीकी डालर) जोड़ सकता है। 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल महिला श्रमबल की भागीदारी का रुझान दिखाता है। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि यह भागीदारी 2005 में 31.79 प्रतिशत से लगातार गिरकर 2019 में 20.79 प्रतिशत हो गई है जबकि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दर का वैश्विक औसत 2018 में 48.5 प्रतिशत था। 1990 से 2005 के बीच एक स्थिर दर का कारण यह है कि जो महिलाएं गरीबी के कारण बेहद कम वेतन वाली निम्न दर्जे की नौकरियां करने पर मजबूर थीं, वे नौकरियों को छोड़ चुकी हैं क्योंकि पुरुष श्रमबल की भागीदार के कारण संभवतः उनकी कुल घरेलू आय में वृद्धि हो गई होगी।

लंबी अवधि के रुझानों ने सुझाया है कि भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी दर हैरान करने वाली रही है। महिला भागीदारी दर 1999-2000 में 34.1 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 27.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नताएं आई हैं। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 2009-10 में 26.5 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 25.3 प्रतिशत हो गई जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गई। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण को अभी और अधिक महिलाओं को श्रमबल शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना बाकी है। ग्रामीण रोजगार कम हो रहे हैं और ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करने लग गई हैं। श्रमबल भागीदारी दर में 131 देशों में 120वें स्थान पर है और लिंग-आधारित हिंसा की दर असंतोषजनक रूप से बनी हुई है। महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनका सामाजिक दायित्व है। 2014 के ओडब्ल्यूआईडी (आवर वर्ल्ड इन डाटा) के आंकड़ों के अनुसार भारत का अवैतनिक देखभाल के कार्य में लगाए गए समय का महिला-पुरुष अनुपात 9.83 है जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इन आंकड़ों की तर्ज पर 2017-18 में 15-59 आयु वर्ग की 62.1 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न थीं। स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओएसटीएटी

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीईपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। कई राज्य सरकारें, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संस्थाएं और नागरिक समाज संगठन भी अपनी पहल कर रहे हैं। फिर भी इस परितंत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी न्यूनतम बनी हुई है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से केवल 44 प्रतिशत या 8.05 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैंय 2018 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को भुनाने की महिला उद्यमियों की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52 वें स्थान पर था।

आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है और इस जनसंख्या का 62 प्रतिशत से अधिक भाग 15-59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आता है। भारत के इस जनसांख्यिकीय लाभांश में 15-64 वर्ष के आयु वर्ग में 43 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं । इसके बावजूद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का लाभ भारत की विकास गाथा में शामिल नहीं है। वर्ष 2019 के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने में काफी निचले पायदान पर है कार्यबल में दस करोड़ पांच लाख आठ हजार छह सौ महिलाओं की कुल संख्या को देखा जाए तो 43 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में लगभग 32.9 करोड़ महिलाएं कार्यबल में शामिल नहीं हैं।

आकांक्षी महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका अपरिहार्य है। आजकल महिलाएं चुनिंदा व्यवसायों के अलावा व्यापार, उद्योग और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों में भी कदम रख रही हैं। महिलाएं भी व्यवसाय करने और देश के विकास में योगदान देने की इच्छुक हैं।

ऋण तक पहुंच

इसके अतिरिक्त उद्यम संबंधी उपक्रमों से जुड़े जोखिम आकांक्षी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ऋण मांगते समय पूर्वाग्रहग्रस्त धारणाओं से निपटना पड़ता है। एक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती है और संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक अंतर और पर्याप्त बचत की कमी अक्सर महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना देती है।

घरेलू जिम्मेदारियां

अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाएं, अभी भी पूर्व-निर्धारित लिंग भूमिकाओं के ढांचे के भीतर काम कर रही हैं जिसके अनुसार उनकी एकमात्र जिम्मेदारी घरेलू कामकाज और आश्रितों की देखभाल है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के अनुसार औसत भारतीय महिला प्रतिदिन लगभग छह घंटे अवैतनिक काम करती है जबकि पुरुष एक घंटे से कम (52 मिनट) काम करता है।

लैंगिक पूर्वाग्रह

महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए निवेश के क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों की छिपी प्रवृत्ति सबसे गंभीर है। महिला उद्यमी अक्सर निवेशकों से संपर्क करने से हिचकिचाती हैं । जब कभी महिलाएं निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तो समान विषय होने के बावजूद निवेशकों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता देते पाया गया है।

सूचना विषमता

एक अन्य प्रमुख चुनौती सूचना विषमता है जो महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और सहायता तक पहुंच की कमी को बढ़ाती है। व्यापार जगत के लिए सीमित अनुभव उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा वाली महिलाओं को कमजोर बनाता है और इस क्षेत्र में सफल होने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है।

रोल मॉडल की कमी

साथ ही रोल मॉडल की कमी भी है जो आकांक्षी महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को सीमित करती है और उन्हें सफलता उनकी पहुंच से बाहर लगती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सफल रोल मॉडल की मौजूदगी रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करने और परिवर्तन लाने का कारण बनती है। इस कमी को भारतीय परितंत्र में युवा महिलाओं के बीच 'उद्यमी' भावना बाधित विकास के रूप में महसूस किया जा सकता है। इनमें कुछ में महिला उद्यमिता को समर्पित स्टार्टअप इंडिया वर्टिकल राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की कौशल प्रदान करने की पहल 'महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण' और महिलाओं के स्वामी वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद का विशेष प्रावधान शामिल है। हालांकि इन प्रयासों के अलग-अलग कार्यान्वयन और सीमित अंतर-विभागी संपर्क के परिणामस्वरूप कई संभावित लाभार्थी इन पहलों अनजान बने हुए हैं।

भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका

आजादी के बाद से ही महिला का विकास हमारा एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। सरकार द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु क्षेत्र सहित लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी। यदि हम बात करे सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाओं की तो जहाँ प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महिला विकास हेतु कई उपाय की कल्पना मात्र की गई थी, उन्हें आगामी योजनाओं में साकार किया गया, जैसे तीसरी योजना में शिक्षा पर बल, पांचवी में महिला प्रशिक्षण पर बल एवं सांतवी योजना में लैंगिक समानता पर बल। आठवीं योजना में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। नवीं योजना में महिला घटक नीती बनाई गई, जिसमें महिला को विकसित करने हेतु महिला संबंधित क्षेत्रों को 30 प्रतिशत का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार योजना दर योजना महिला विकास हेतु अनेक नीतियां बनती एवं संचालित होती रही। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

● खादी और ग्रामोद्योग आयोग ● महात्मा गाँधी, ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान ● राजीव गाँधी, महिला विकास परियोजना ● एसबीआई की स्त्री शक्ति योजना ● महिला विकास निगम ● महिला विकास कार्यक्रम ● महिला समिति योजना ● इंद्रा महिला योजना ● इंदिरा महिला केंद्र ● 10-राष्ट्रीय महिला कोष

मंडी बोर्ड कर चोरी पर सख्त कार्यवाही करेगा : श्री पुरुषोत्तम

भोपाल (कृषक जगत)। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने मंडी शुल्क अपवंचन और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कृषि उपज के अवैध परिवहन के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में सभी आंचलिक संयुक्त संचालकों एवं मंडी सचिवों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ व्यापारी एवं परिवहनकर्ता मूंगफली जैसी अधिसूचित कृषि उपज का परिवहन फर्जी बिल, बिल्टी और अनुज्ञापत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे मंडी शुल्क की चोरी हो रही है। ग्वालियर-चंबल, सागर और जबलपुर संभागों से ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं, जिनका खुलासा मंडी समितियों और उड़नदस्ता दलों की जांच में हुआ है।

श्री कुमार पुरुषोत्तम ने स्पष्ट कहा है कि 'जिन मामलों में जानबूझकर कूटरचना कर मंडी दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है और मंडी समिति को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है, उनमें केवल प्रशमन शुल्क लेकर मामला निपटाना पर्याप्त नहीं है।' उन्होंने सभी आंचलिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए हैं कि कृषि उपज के परिवहन के दौरान अनुज्ञापत्र के QR कोड की स्कैनिंग कर सत्यापन किया जाए। फर्जी अनुज्ञापत्रों के मामलों में मंडी अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन न किया जाए, बल्कि कठोर कार्रवाई की जाए। संबंधित कृषि उपज को जप्त (Seize) कर धारा 23 के तहत कार्यवाही की जाए और एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। दोषी व्यापारियों की अनुज्ञप्ति रद्द कर मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क की पूर्ण वसूली की जाए।

मंडी बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरणों में यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सीआईएई भोपाल में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 10 नवम्बर से

भोपाल (कृषक जगत)। भारतीय कृषि अभियंता सोसाइटी (ISAE) तथा भा.कृ.अनु.प.- केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (CIAE), भोपाल संयुक्त रूप से 'पूर्व एवं उपरांत- कृषि उत्पादन में मेकाट्रॉनिक्स एवं रोबोटिक्स' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 10 से 12 नवम्बर, 2025 तक 'कृषि के लिए अभियांत्रिकी नवाचार 5.0' विषय पर कर रहे हैं।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य हरित क्रांति काल एवं उसके पश्चात भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि 5.0 का युग कृषि उत्पादन लागत में कमी, इनपुट्स एवं संसाधनों के सटीक उपयोग, मूल्य संवर्धन तथा कृषि उत्पादन में जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, उद्यमियों, किसानों एवं विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं प्रगतियों पर विचार-विमर्श कर सकें।

इस अवसर पर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के मंत्रीगण, आईसीएआर एवं राज्य के अधिकारी, तथा बीआईएस, नाबार्ड, एएनआरएफ जैसे अनेक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

गेहूं स्टॉक सीमा तय, 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा आदेश

पोर्टल पर दर्ज करनी होगी स्टॉक की जानकारी

भोपाल (कृषक जगत)। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार देशभर में गेहूं पर नई स्टॉक सीमा 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू की गई है।

मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की है। व्यापारी/थोक विक्रेता के अधिकतम स्टॉक सीमा 2000 मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर में प्रत्येक आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बशर्ते अधिकतम मात्रा कुल दुकानों की संख्या 8 गुणा होना चाहिए। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रोसेसर के लिए मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर रखना होगा।

एपीडा ने किया छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड चावल का निर्यात

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात की सुविधा दी।यह खेप भारत के कृषि निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले, फोर्टिफाइड और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में देश की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के भारत के निरंतर प्रयासों में मील का एक और महत्वपूर्ण पत्थर है।

इस मौके पर, एपीडा अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने निर्यातक मेसर्स स्पॉन्ज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर और

इस उपलब्धि को हासिल करने में शामिल सभी हितधारकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड चावल का सफल निर्यात अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को प्रीमियम क्वालिटी, विज्ञान-आधारित और पोषण वाले खाद्य समाधान प्रदान करने में भारत की बढ़ती क्षमता का उदाहरण है। श्री देव ने वैश्विक कृषि-व्यापार इकोसिस्टम में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली, क्षमता बढ़ाने, मूल्य-श्रृंखला विकास और रणनीतिक बाजार संबंधों के माध्यम से निर्यातकों की सुविधा के लिए एपीडा की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ (टीआरईए-सीजी) अध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने एपीडा के लगातार समर्थन और सुविधा के लिए आभार जताया।

फोटो गैलरी

प्रतिवेदन भेंट

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा, सदस्य डॉ. नरेन्द्र कोष्ठी, सचिव श्रीमती राखी सहाय और परीक्षा नियंत्रक डॉ. वी. के. गुप्ता ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को आयोग का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया।

विमोचन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शौर्य स्मारक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150वें स्मरणोत्सव में वंदे मातरम् गीत पर पुन: प्रकाशित पुस्तिका 'मातरम्' का विमोचन किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, अनुसूचित जाति, जनजाति राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर एवं विधायक श्री भगवानदास सबनानी उपस्थित थे।

अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय प्रांगण में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने लघु उद्यमियों द्वारा लगाए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया एवं स्वदेशी उत्पादों की जानकारी प्राप्त की।

बैठक

भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक सुश्री शुभ्रा सक्सेना ने भोपाल व सीहोर जिले का तथा सचिव श्री विनोद कुमार ने विदिशा जिले का भ्रमण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों व किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

नरवाई आग के हवाले होने से बचाएं : श्री विश्वकर्मा

रायसेन (कृषक जगत)। भविष्य में नरवाई की आग से बंजर भूमि ना हो इसके लिए वह सभी कदम उठाने चाहिए जिससे किसान नरवाई (पराली) को जलाएं नहीं बल्कि उसका अन्य रुप में उपयोग करें। नरवाई जलाने से रोकने की कर्तव्य भावना सभी में होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नरवाई को आग के हवाले होने से रोकने फील्ड अधिकारी खेतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक करें। यह बात जिले के कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने ग्राम रतनपुर एवं अल्ली बनगांव में भ्रमण के दौरान अधिकारियों एवं कृषकों से कहीं। यहां आईटीसी निजी संस्था द्वारा बेलर मशीन से नरवाई को एकत्र कर प्रबंधन का जीवांत प्रदर्शन दिखाया गया। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने ट्रैक्टर पर बैठकर बेलर मशीन से नरवाई के गट्ठे बनाने की तकनीक को समझा। धान फसल कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई उपरांत आईटीसी संस्था बेलर मशीन द्वारा फसलों की नरवाई को मुफ्त में एकत्र कर रही है।

कलेक्टर ने इन तकनीकों को देखकर अन्य कृषकों को भी बेलर मशीन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पांडे, सहायक कलेक्टर श्री अंकित जैन, श्री कुलदीप पटेल, उपसंचालक कृषि श्री के. पी. भगत, सहायक संचालक कृषि श्री सुनील कुमार सोने, आईटीसी के सेंटर जनरल मैनेजर श्री प्रमोद उपाध्याय, चैनल मैनेजर श्री अभिषेक शर्मा एरिया मैनेजर श्री सार्थक कोठियाल, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री सागर फतेहपुरिया, जिला संयोजक श्री मनोज सोनी एवं एफपीओ डायरेक्टर, कृषक उपस्थित थे।

उर्वरक वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करें : श्रीमती मिशा

रतलाम (कृषक जगत)। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने उर्वरक वितरण केन्द्र बिरियाखेड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उर्वरक वितरण प्रक्रिया का अवलोकन किया एवं समक्ष में स्टाक पर्ची निकलवा कर स्टाक का मिलान कर प्रस्तुत करने के निर्देश जिला विपणन अधिकारी को दिए। उपस्थित किसानों से चर्चा कर वितरण प्रक्रिया का फीडबेक लिया एवं विपणन अधिकारी को किसानों को वितरण व्यवस्था में आवश्यक सुधार की बात कही। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उप संचालक कृषि श्रीमती नीलम सिंह चौहान, जिला विपणन अधिकारी श्रीमती यशवर्धन सिंह, पीडी आत्मा श्री निर्भय सिंह नर्गेश सहित वितरण केन्द्र के कर्मचारी, कृषक उपस्थित थे।

केवीके सिवनी में मनाई गई 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ

केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वैज्ञानिक डॉ. के. के. देशमुख, डॉ. निखिल सिंह, इंजी. कुमार सोनी, के.पी.एस. सैनी, श्रीमती आभा श्रीवास्तव, श्री देवी प्रसाद तिवारी, श्री ओम ब्रोकर, श्री नीत लाहौरी एवं रावे छात्राओं की उपस्थिति रही।

नमूने अमानक पाये जाने पर कंपनियों एवं विक्रेताओं पर कार्यवाही

सीहोर (कृषक जगत)। जिले में गुण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए विभाग खाद, बीज, कीटनाशकों के नमूने एकत्रित कर प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजता है। नमूने अमानक पाए जाने पर विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। कृषि विभाग के उप संचालक कृषि श्री अशोक उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन इंदौर के केंद्रीय कीटनाशी निरीक्षक एवं वनस्पति संरक्षण अधिकारी ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीहोर जिले के आमला जोड़ स्थित विकास ट्रेडर्स से फ्लावर बूम (नाइट्रो बेंजीन 50 प्रतिशत) अमानक पाया गया। इसमें सक्रिय पदार्थ की मात्रा केवल 19.54 प्रतिशत पाई गई।

विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। इनके अलावा कीटनाशक निर्माता कंपनी गुजरात बायो एंड केमिकल इंडस्ट्री के समस्त उत्पादों को जिले में विक्रय भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बीज उत्पादक कंपनियों के नमूने अमानक पाए जाने पर भी कार्रवाई की इनमें महालक्ष्मी सीड्स मंदसौर, केडीएम सीड्स खंडवा, सन सीड्स कॉरपोरेशन तेलंगाना, एमएमके एग्री सीड्स सादुल्लगढ़ मानसा पंजाब, ग्रीन एग्रीवोलुशन प्रा. लि. गुरुग्राम हरियाणा, कार्नटेक सीड्स प्रा. लि. सिकंदराबाद तेलंगाना, अंकुर सीड्स प्रा.लि. नागपुर है। उत्पादों के विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनमें बरखेड़ी भोज ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सीहोर, जीवन ट्रेडिंग कंपनी मंडी सीहोर, सोनल पेस्टिसाइड्स रेहटी,शिवशक्ति इरिगेशन भेरूंदा,जीत कृषि सेवा केंद्र भैरुंदा प्रमुख है।

सतना कमिश्नर ने की कृषि आदान की जिलेवार समीक्षा

सतना (कृषक जगत)। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर श्री बीएस जामोद ने कृषि आदान की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, सहायक संचालक प्रीति द्विवेदी, उप संचालक कृषि रीवा श्री यूपी बागरी, सतना श्री आशीष पाण्डेय, सीधी श्री आरएस चौहान, सिंगरौली श्री अनुज सिंह, संभागीय प्रबंधक मार्कफेड नेहा पीयूष तिवारी, जिला प्रबंधक शिखा सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कमिश्नर ने कहा कि कृषि संभाग और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों की स्थिति में सुधार होने से पूरे संभाग में आर्थिक विकास होगा। कृषि अधिकारी खेती को आधुनिक बनाने में किसानों को उचित मार्गदर्शन और सहयोग करें। क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण करके विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। किसानों को श्रीअन्न की खेती और व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें। नरवाई जलाना दण्डनीय अपराध है। नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। किसानों को रोटावेटर, हैप्पीसीडर तथा सुपर सीडर के माध्यम से नरवाई प्रबंधन के लिए प्रेरित करें।

कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में खाद की रैक लगातार प्राप्त हो रही है। मार्कफेड के डबल लॉक सेंटर, समितियों तथा निजी विक्रेताओं से खाद के वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। कमिश्नर ने विभाग के तहत संचालित कृषि फार्मों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों में कृषि फार्मों की स्थिति दयनीय है। संयुक्त संचालक कृषि आगामी फसल के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर सभी कृषि फार्मों में उपलब्ध शत-प्रतिशत भूमि पर फसलों की बुवाई कराएं। फार्मों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करें। फार्मों से तैयार बीज की गुणवत्ता की निगरानी करें। सभी फार्मों में फसलों की उत्पादकता संभाग की औसत उत्पादकता से अधिक होना सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त संचालक कृषि श्री मनोज कश्यप ने संभाग के सभी जिलों में फसलों की स्थिति, खाद बीज के वितरण तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी।

नरवाई जलाने पर एफआईआर दर्ज

छिंदवाड़ा (कृषक जगत)। जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर निरंतर निगरानी और कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में तहसील मोहखेड़ के ग्राम खैरवाड़ा में अशोक कुमार साहू

पिता तेजलाल साहू द्वारा निजी भूमि में मक्का फसल कटाई उपरांत रखी गई कड़वी के ढेर को आग लगाने का मामला सामने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के माध्यम से जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन ने बताया कि ग्राम कोटवार द्वारा सूचना प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक मोहखेड़ एवं राजस्व पटवारी हल्का क्रमांक 40 सांवरी द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि अशोक कुमार साहू द्वारा जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेश का उल्लंघन करते हुए खेत में नरवाई जलाई गई है, जबकि उक्त आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ऐसे कृत्य को प्रतिबंधित किया गया है। मौके पर पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन थाना मोहखेड को प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर अशोक कुमार साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं 287 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

तुलसी

समस्या : मैं तुलसी की खेती करना चाहता हूं, मार्गदर्शन दें।

समाधान : तुलसी का पौधा 2 से ढाई फिट ऊंचाई वाला झाड़ीनुमा होता है। यह सुगंधित तेल का एक उत्तम स्त्रोत है, तुलसी की जातियों में काली तुलसी 311, वन तुलसी तथा कपूर तुलसी कृषकों में अधिक प्रचलित है तथा व्यवसायिक स्तर पर इसकी खेती की जा रही है। इन जातियों से तेल तथा अवयव मिलते हैं, इसका उपयोगी भाग बीज अथवा सम्पूर्ण पौधा है। यह दोमट तथा बलुई मिट्टी जिसका पी.एच. 5 से 8.5 हो। जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बीजों द्वारा नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। प्रति हेक्टेयर के लिए 600 से 800 ग्रा. बीज की आवश्यकता पड़ती है और रोपाई अप्रैल, मई के महिनों में की जाती है। तुलसी का उपयोग औषधियों में (कफ सीरप, खांसी की गोलियां), सौन्दर्य प्रसाधनों तथा आयुर्वेदिक दवाओं में तेल से प्राप्त अवयवों का उपयोग, टूथपेस्ट, माऊथ वाश, डेन्टल क्रीम में किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

बेल और पिप्पली

समस्या : बेल और पिप्पली लगाना चाहता हूं, विस्तृत जानकारी दें।

समाधान: बेल सारे भारत में हर जगह पाया जाता है। फल पकने पर हरे से सुनहरे पीले रंग का हो जाता है तथा गोलाकार, सख्त, चिकना एवं आकार में 5 से 20 सेमी. व्यास का होता है। पुष्प छोटे तथा सफेद होते हैं। पत्तियां संयुक्त, त्रिपत्र तथा चिकनी एवं चमकदार होती हैं। इसका उपयोगी भागफल, पत्ती और जड़ होता है। यह समस्त भारत में विशेषत: सूखी पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालय में 4 हजार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। ताजे बीजों को नर्सरी में बोकर पौध तैयार की जाती है। मानसून आने पर इसका वृक्षारोपण कर दिया जाता है। बेल का फल बवासीर रोकता है व कब्ज की आदत को तोड़ता है। इससे आंतों की कार्य क्षमता बढ़ती है, भूख सुधरती है एवं इन्द्रियों को बल मिलता है। इसके फल का जूस गर्मियों में लाभदायक होता है। पिप्पली अथवा लेन्डी पीपल लता स्वरूप, बहुवर्षीय, पत्ते छोटे ह्दयाकार, पके हुए फल हरे काले रंग के किन्तु सूखने पर काले हो जाते हैं और लम्बे गोल होते हैं। इस वनौषधि का उत्पत्ति स्थान इन्डोनेशिया तथा मलेशिया है। यह भारत, श्रीलंका तथा नेपाल के जंगलों में भी पाई जाती है। इसकी खेती व्यवसायिक स्तर पर भारत में की जाती है।

फल और जड़ इसका उपयोगी भाग है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त भूमि लाल मिट्टी वाली सिल्ट दोमट से लेकर मध्यम भारी एवं उत्तम जल निकास वाली बहुत ही अच्छी होती है। खेत में दो–तीन बार जुताई करके तथा खेत में पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा समतल तैयार करना चाहिए, ताकि इसमें जल भराव न हो, इसके फल तथा मूल का प्रयोग प्राचीनकाल से आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण में किया जा रहा है। इस वनौषधि का उपयोग दमा, खांसी, ब्रोकाइटिस, कुष्णरोग, कुपचन, कामला, जुकाम की औषधियां बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पेचिश, बवासीर, मोटापा दूर करने, दांत निकलने में आसानी, आंखों की खुजली दूर करने, सायटिका दूर करता है। इसका प्रयोग मसालों में भी व्यापक स्तर पर किया जाता है।

रेज्ड बेड प्लांटर

समस्या : रेज्ड बेड प्लांटर से कौन–कौन सी फसलें बोयी जा सकती हैं, क्या गेहूं की बुवाई कर सकते हैं।

समाधान : रेज्ड बेड प्लांटर उपयोगी है जहां पानी की बचत करनी हो तथा जल निकासी की समस्या से निदान पाना है। निराई गुड़ाई में मदद मिलती है, पानी तथा उर्वरक की बचत होती है, पैदावार भी ज्यादा होती है। दालें, सब्जियां,मक्का इत्यादि को बोया जा सकता है। हां, गेहूं की बुआई रेज्ड बेड प्लांटर से करने से पानी, खाद एवं मजदूरी की बचत होती है।

मधुमक्खी पालन

समस्या : मधुमक्खी पालन के लिए कौन–कौन से पेड़ पौधे लगायें।

समाधान : मधुमक्खियां अपने तथा बच्चों के भोजन के लिए फूलों से पराग तथा मकरंद (शहद) लाती है जहां पर ऐसे फूलों के पौधे अधिक होंगे वहीं पर मधुमक्खी पालन अधिक सफल हो सकता है। मधुमक्खी के कुछ मुख्य पौधे जैसे अमरुद, लीची, नींबू जाति, नाशपाती, सेब, इमली, जामुन, खजूर, केला, नारियल, सरसों, राई तारामीरा, तिल, अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, गोभी, मूली, खीरा, ककड़ी, तोरई, धनिया, सौंफ, करंज, तुन, नीम, ताड़, यूकेलिप्टस, पापी स्वीट पी, कार्न फ्लावर, एन्टीगोनैन, डहेलिया, गुलाब, डहेलिया, लुकाट आदि। इसके अलावा हजारों जंगली जड़ी–बूटियां भी हैं जिससे मधुमक्खी पराग ग्रहण करती है।

ट्रैक्टर रिपेयरिंग

समस्या : ट्रैक्टर संचालन एवं रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कहां मिलेगी।

समाधान : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। भारत सरकार के ट्रेनिंग सेंटर बुधनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनन्तपुर (तेलंगाना), विश्वनाथ चेरियाल (आंध्र प्रदेश) एवं आसाम में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त आप विभिन्न कृषि विद्यालयों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

- केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला–सीहोर फोन– 07564-234729
- हिसार– 01662-276824
- अनंतपुर– 9493736641
- विश्वनाथ चारि आली, जिला–शोणितपुर, फोन– 03715-222094

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक	सब्जियों में पौध संरक्षण	मशरूम एक लाभ अनेक	मिर्च की उन्नत खेती	केला उत्पादन	गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 95	रु. 75	रु. 45	रु. 55	रु. 70	रु. 75
कोड : 016	कोड : 017	कोड : 019	कोड : 020	कोड : 025	कोड : 027

पपीता	अदरक	फलों की खेती	सजाएं फूलों से बगिया	घर की बगिया
रु. 55	रु. 55	रु. 75	रु. 65	रु. 95
कोड : 031	कोड : 032	कोड : 040	कोड : 041	कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम ____
ग्राम ____ पोस्ट ____ तह. ____
जिला ____ फोन/मोबा. ____
कुल राशि ____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या ____
संलग्न ड्राफ्ट नं. ____ मनी आर्डर रसीद क्र. ____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

जवारे से रोग का इलाज

प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल नियामतें दी हैं। गेहूं के जवारे उनमें से ही प्रकृति की एक अनमोल देन है। अनेक आहार शास्त्रियों ने इसे संजीवनी बूटी भी कहा है, क्योंकि ऐसा कोई रोग नहीं, जिसमें इसका सेवन लाभ नहीं देता हो। यदि किसी रोग से रोगी निराश है तो वह इसका सेवन कर श्रेष्ठ स्वास्थ्य पा सकता है। गेहूं के जवारों में अनेक अनमोल पोषक तत्व व रोग निवारक गुण पाए जाते हैं, जिससे इसे आहार नहीं वरन अमृत का दर्जा भी दिया जा सकता है। जवारों में सबसे प्रमुख तत्व क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रसिद्ध आहार शास्त्री डॉ. बशर के अनुसार क्लोरोफिल (गेहूं के जवारों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व) को केंद्रित सूर्य शक्ति कहा है। गेहूं के जवारे रक्त व रक्त संचार संबंधी रोगों, रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप, सर्दी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्थायी सर्दी, साइनस, पाचन संबंधी रोग, पेट में छाले, कैंसर, आंतों की सूजन, दांत संबंधी समस्याओं, दांत का हिलना, मसूड़ों से खून आना, चर्म रोग, एक्जिमा, किडनी संबंधी रोग, सेक्स संबंधी रोग, शीघ्रपतन, कान के रोग, थायराइड ग्रंथि के रोग व अनेक ऐसे रोग जिनसे रोगी निराश हो गया, उनके लिए गेहूं के जवारे अनमोल औषधि हैं। इसलिए कोई भी रोग हो तो वर्तमान में चल रही चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ इसका प्रयोग कर आशातीत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

हरा रक्त : हिमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रमुख घटक है। हिमोग्लोबिन में हेमिन नामक तत्व पाया जाता है। रासायनिक रूप से हिमोग्लोबिन व हेमिन में काफी समानता है। हिमोग्लोबिन व हेमिन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या व उनकी आपस में संरचना भी करीब-करीब एक जैसी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमोग्लोबिन व क्लोरोफिल में काफी समानता है और इसीलिए गेहूं के जवारों को हरा रक्त भी कहते हैं।

प्राकृतिक रक्त निर्माण

गेहूं के जवारों में रोग निरोधक व रोग निवारक शक्ति पाई जाती है। कई आहार शास्त्री इसे रक्त बनाने वाला प्राकृतिक परमाणु कहते हैं। गेहूं के जवारों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए ये पाचन संस्थान व रक्त द्वारा आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं।

पुराने रोगों में कारगर : यदि कोई रोगी व्यक्ति वर्तमान में चल रही चिकित्सा के साथ-साथ गेहूं के जवारों का प्रयोग करता है तो उसे रोग से मुक्ति में मदद मिलती है और वह बरसों पुराने रोग से मुक्ति पा जाता है। यहां एक रोग से ही मुक्ति नहीं मिलती है वरन अनेक रोगों से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसकी जीवनशक्ति में अपार वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गेहूं के जवारे से रोगी तो स्वस्थ होता ही है किंतु सामान्य स्वास्थ्य वाला व्यक्ति भी अपार शक्ति पाता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर में थकान तो आती ही नहीं है। यदि किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को गेहूं के जवारों का प्रयोग कराना है तो उसकी वर्तमान में चल रही चिकित्सा को बिना बंद किए भी गेहूं के जवारों का सेवन कराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई चिकित्सा पद्धति गेहूं के जवारों के प्रयोग में आड़े नहीं आती है, क्योंकि गेहूं के जवारे औषधि ही नहीं वरन श्रेष्ठ आहार भी है।

फलों को किसी भी समय खाने से लाभ नहीं

क्या आप कभी-कभी नाश्ते के दौरान चीकू या नाशपाती का सेवन करते हैं, या फिर मन करने पर आधी रात को फ्रिज से सेब निकालकर उसे स्नैक्स की तरह खाने लगते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो विशेषज्ञों के अनुसार, आप फल सही खा रहे हैं, लेकिन उनके खाने का समय गलत है।

ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिये लाभदायक फल कभी भी खाए जा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह सच नहीं है। पोषक तत्वों से भरपूर फलों का सेवन करना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि फलों को सही समय पर खाया जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक, फलों का सेवन दोपहर या रात के खाने के साथ नहीं, बल्कि उनके बीच में करना चाहिए।

अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ स्टार्टअप प्योर न्यूट्रिशन के संस्थापक ल्यूक कॉटिन्हो के मुताबिक, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फल पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अगर आप कोई स्वास्थ्यकर चीज खाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि उसको आपका शरीर पचा सके।

चाय और कॉफी मैंटेनिन और कैफीन जैसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो केले और चीकू में शामिल पोषक तत्वों का फायदा शरीर को पहुंचाने में बाधा पैदा करते हैं। खाली पेट फलों का सेवन सर्वोत्तम है। लंच या डिनर के बीच या फिर नाश्ते या लंच के बीच, या फिर व्यायाम के बाद अपने शरीर को पुनः ऊर्जा से भरने के लिये फलों का सेवन करना चाहिए।

विशेषज्ञों के मुताबिक, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। फलों को बदल-बदल कर खाना चाहिए। इससे पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी।

आइए जानें कुछ खास वास्तु टिप्स

सुखमय जीवन के लिए – वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिस घर में वास्तु दोष होता है, वहां रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संकट आते हैं। यह सारी समस्याएं हमारे घर और जीवन पर काफी प्रभाव डालती हैं। इसीलिए घर में कुछ परिवर्तन कर हम इस नुकसान से बच सकते हैं।

कैसे बनाए रखें घर की सुख-समृद्धि – इसी प्रकार प्रवेश द्वार की ओर पैर करके सोना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। स्वर्गवासी वृद्धों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। पलंग कभी भी दीवार से मिलाकर न रखें। इससे पत्नी-पति में तकरार होती है। शौचालय की सीट उत्तर दक्षिण की तरफ होनी चाहिए।

बीमार व्यक्ति के लिए क्या करें – यदि आपके घर में कोई अधिक समय से बीमार है तो नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम का कोना) में सुलाना चाहिए। इसके साथ ही ईशान कोण में शीतल जल रखने से व्यक्ति बहुत ही जल्दी स्वस्थ होता है। दवाई भी हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए।

दवा लेते समय मुख भी इसी कोण में रखना चाहिए। इससे दवा शीघ्र असर करती है। इससे रोगी जल्दी ही ठीक हो जाता है। बीमार व्यक्ति यदि एक ही कमरे मे काफी समय से है तो उसे दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दें।

सेहत का राज– बस, 4 ग्लास पानी एक साथ

सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, मोटापा, बेहोशी, दमा, खांसी, लीवर की कमजोरी, पेशाब की बीमारी, गैस, कब्ज, एसीडिटी, कमजोरी, आंख की बीमारी, मानसिक रोग, महिलाओं को होने वाली बीमारियां एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई-पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए यह सादी-सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है। कमी है तो बस इसके जनसाधारण के बीच प्रसार की।

पानी प्रयोग की विधि क्या –

सुबह उठकर बिस्तर में बैठ जाएं और चार बड़े ग्लास भरकर (लगभग एक लीटर) पानी एक ही समय एक साथ पी जाएं। ध्यान रहे कि पानी पीने के पहले मुंह न धोएं, न ब्रश करें तथा शौचकर्म भी न करें। पानी पीने के बाद थूकें नहीं। पानी पीने के पौन घंटे बाद आप ब्रश/ दातून, मुंह धोना, शौचकर्म इत्यादि नित्यकर्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार या कमजोर काया के हैं और वे एक साथ चार ग्लास पानी नहीं पी सकते तो उन्हें शुरूआत एक-दो ग्लास पानी से करना चाहिए तथा धीरे-धीरे चार ग्लास तक बढ़ाना चाहिए।

साथ ही भोजन करने के बाद लगभग दो घंटे पानी न पिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। चार ग्लास पानी पीने की यह विधि स्वस्थ या बीमार, सभी के लिए अति लाभदायक सिद्ध हुई है। पानी पीने से कई बीमारियां इस प्रयोग से निम्नलिखित समय में दूर होती जाती हैं।

* मधुमेह एक माह के लगभग।
* उच्च रक्तचाप एक माह के लगभग।
* गैस दो सप्ताह के लगभग।
* टी.बी. छः माह के लगभग।
* कब्जीयत– दो सप्ताह के लगभग।

पाक्षिक पंचांग

10 से 23 नवम्बर 2025
विक्रम संवत् 2082
आगहन कृष्ण 5/6 से अगहन शुक्ल 3 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
10	नवम्बर	सोम	अगहन कृष्ण	5/6
11	नवम्बर	मंगल	----------	7
12	नवम्बर	बुध	----------	8 काल भैरवाष्टमी
13	नवम्बर	गुरु	----------	9
14	नवम्बर	शुक्र	----------	10
15	नवम्बर	शनि	----------	11 उत्पन्ना एकादशी
16	नवम्बर	रवि	----------	12
17	नवम्बर	सोम	----------	13 प्रदोष व्रत
18	नवम्बर	मंगल	----------	13 शिव चतुर्दशी व्रत
19	नवम्बर	बुध	----------	14
20	नवम्बर	गुरु	----------	30 स्ना.दा. अमावस
21	नवम्बर	शुक्र	अगहन शुक्ल	1
22	नवम्बर	शनि	----------	2
23	नवम्बर	रवि	----------	3

चावल सम्मेलन में शामिल बासमती-चिन्नोर

भोपाल (कृषक जगत)। नई दिल्ली में इंटरनेशनल राइस एक्सपोर्टेशन फेडरेशन (IREF) द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का सफल आयोजन किया गया। उक्त संगठन के विश्व में 7750 से अधिक सदस्य/संस्था शामिल हैं, जिनमें निर्यातक, प्रोसेसर, लॉजिस्टिक्स फर्म्स एवं कृषक संगठन प्रमुख हैं। सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों के साथ-साथ कनाडा, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मध्यप्रदेश से इस कार्यक्रम में बालाघाट जिले का जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल तथा रायसेन जिले का बासमती चावल प्रदर्शित किया गया।

बालाघाट से श्री मृणाल मीणा कलेक्टर एवं श्री फूलसिंह मालवीय उपसंचालक कृषि एवं रायसेन जिले से श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर एवं श्री के. पी. भगत उप संचालक कृषि के नेतृत्व में स्टाल लगाए गए। बालाघाट कृषि विभाग से सुश्री मोनिका उइके, श्रीमती लक्ष्या जानेवार, श्री थनेन्द्र करते, श्री मनोज पटले तथा किसान श्री ईशुपाल चौहान एवं श्री भोजलाल माने। रायसेन जिले से विभाग के सहायक संचालक कृषि श्री सुनील कुमार सोने,श्री राजेन्द्र रघुवंशी, श्री सैयद जुबेर अहमद प्रमुख निर्यात प्रकोष्ठ उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान दोनों जिलों में उगाई जाने वाली धान किस्मों बासमती/चिन्नोर के उत्पादन आदि पर निर्यातकों ने जानकारी प्राप्त की।

जनेकृविवि में कृषि सलाहकार समिति एवं अध्ययन योजना की बैठक

जबलपुर (कृषक जगत)। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक एवं कृषि व्यय अध्ययन योजना मध्यप्रदेश अंतर्गत निगरानी समिति की बैठक का आयोजन श्री देवाजीत खोण्ड, प्रमुख आर्थिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की उपस्थिति में एवं कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक के प्रारंभ में डॉ. दीपक राठी, संचालक (प्रभारी) के द्वारा केंद्र की संपूर्ण गतिविधियों का विवरण दिया गया। श्री देवाजीत खोण्ड एवं कुलपति डॉ. पी.के. मिश्रा द्वारा इन सभी बिंदुओं का समर्थन किया गया। उन्होंने इस आशय पर जोर दिया कि ये केंद्र भारत सरकार को मूलभूत स्तर की तमाम समस्याओं से अवगत कराते हैं तथा यह भी कहा कि यह केंद्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है।

डॉ. गौरव वानी, प्रक्षेत्राधिकारी, कृषि व्यय अध्ययन योजना द्वारा निगरानी समिति के समक्ष योजना की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय मामलों को प्रस्तुत किया गया। डॉ. वानी ने बताया कि योजना के तहत एकत्र किये गये आंकड़ों के द्वारा मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर कृषि लागत एवं प्रति क्विंटल उत्पादन लागत की गणना ईएस एवं ईडी नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा की जाती है। समिति के सदस्यों द्वारा योजना के संबंध में मूल्यवान सुझाव दिये गये।

इस अवसर पर डॉ. जी.के.कौतू संचालक अनुसंधान सेवायें, डॉ. आर. एम. साहू सदस्य, डॉ. एस. बी. नाहटकर सदस्य, श्रीमती संजू तिवारी लेखा नियंत्रक एवं डॉ. ए.के.जैन कुलसचिव, डॉ. विजय यादव सदस्य एवं डॉ. रोशनी तिवारी सदस्य की उपस्थिति सराहनीय रही।

'झाबुआ नुं जैविक' की भोपाल में पूछ-परख बढ़ी

भोपाल (कृषक जगत)। मप्र स्थापना दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में चुनिंदा जिलों के कृषि उत्पाद के स्टाल लगाए गए थे। इनमें झाबुआ कृषि विभाग द्वारा झाबुआ नुं जैविक अनाज के नाम से जिले में उत्पादित जैविक अनाजों का स्टॉल लगाया गया। (स्मरण रहे कि वर्तमान में प्रदेश के अनेक जिलों में रसायनिक उर्वरक खरीदने में किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है वहीं झाबुआ जिले के कृषक जैविक एवं प्राकृतिक तरीके से फसलों का उत्पादन लेते हैं। यहां उर्वरक वितरण केन्द्र में कम दबाव रहता है। यहां प्रशासन को रसायनिक उर्वरक भंडारण के लिए अधिक जोड़ घटाना नहीं पड़ता) कार्यक्रम में स्टाल पर जैविक तरीके से उत्पादित अनाजों में दूध मोगर एवं साठी मक्का, लंबे रेशे वाला कपास,भूरा एवं तेलिया उड़द, काला गेहूं, गिरनार मूंगफली के अलावा मिलेट्स फसलों में रागी, सांबा, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, चीना फसलों के नमूने रखे गए थे। इन फसलों को देखकर आगंतुकों ने भोपाल में उपलब्धता एवं उत्पादन की जानकारी के साथ जैविक उत्पादन के प्रति जिज्ञासाओं का समाधान अधिकारियों ने किया।

कृषि विभाग के स्टाल का संचालनालय कृषि के उप संचालक श्री कमल यादव ने अवलोकन किया। झाबुआ जिले की सहभागिता में उपस्थित परियोजना संचालक आत्मा श्री जी. एस. त्रिवेदी के नेतृत्व में स्टॉल लगाया गया था। स्टाल पर जिले के सहायक संचालक कृषि श्री संतोष मौर्य,उप परियोजना संचालक आत्मा श्री एम. एस. धार्वे अन्य अधिकारी - कर्मचारियों में श्री गोपाल मुलेवा, श्री रोहित चौहान, श्री एम. एस. देवड़ा, श्री चंदूलाल रायकवार, श्री भागीरथ वारिया भी मौजूद थे।

कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें

शैलेन्द्र फरक्या, बलराम एंड ब्रदर्स, पिपलिया मंडी, जिला- मन्दसौर, मो. : 9893189345
सतीशचन्द्र शर्मा, मे. शर्मा एग्रो एजेन्सी, पनवाड़ी, जिला-शाजापुर, मो. : 9893296531
विशाल पाटीदार, मे. गायत्री कृषि एवं बीज भंडार, शुजालपुर मंडी, मो. : 8120700900

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
- वार्षिक रु. 600/-
- दो वर्ष रु. 1000/-
- तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम ....

....

ग्राम ....पो. ....

डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : ....

वि.ख. .... तह. ....

जिला .... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य ....

शिक्षा .... भूमि .... उम्र ....

ट्रैक्टर/मॉडल .... फोन/मो. ....

ई-मेल ....

मेरा सदस्यता शुल्क रुपये .... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/

मनीऑर्डर/क्र. .... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम

कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php

Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793,
Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861

कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

इंदौर में बढ़ेगा प्राकृतिक खेती का रकबा

किसानों को मिलेगा मार्केटिंग, ब्रांडिंग का प्रशिक्षण

इंदौर (कृषक जगत)। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर जिला प्रशासन अब प्राकृतिक खेती के विस्तार पर जोर दे रहा है। इस उद्देश्य से कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें कृषि विभाग, विभिन्न संस्थाओं और प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, परियोजना समन्वयक श्रीमती शर्ली थॉमस, कृषि विशेषज्ञों तथा अनेक किसानों ने हिस्सा लिया।

किसानों को मिलेगा योजनाओं और प्रशिक्षण का लाभ

कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में किसानों से उनके नवाचार और अनुभव सुने। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए।

प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए बनेगी विशेष व्यवस्था

श्री वर्मा ने बताया कि ग्रामीण हाट बाजारों में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सप्ताह के दो निर्धारित दिनों में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। इससे किसानों को उचित मूल्य, स्थायी ग्राहक और ब्रांड पहचान बनाने में मदद मिलेगी।

किसानों के अनुभव बने प्रेरणा

बैठक में किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, खेती की लागत घटती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। कई किसानों ने कहा कि वे अपने गांवों और आसपास के क्षेत्रों में अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ रहे हैं, जिससे यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों ने बताए लाभ और तकनीक

अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत जैसे जैविक उपायों की जानकारी दी और बताया कि इनसे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा –'प्राकृतिक खेती सिर्फ एक पद्धति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और किसान समृद्धि का मजबूत माध्यम है। इंदौर जिले को इस दिशा में मॉडल बनाना हमारा लक्ष्य है।'

यह पहल इंदौर जिले को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में किसान श्री जितेन्द्र पाटीदार, प्रेमलता चौधरी, श्री नवीन पटेल, श्री महेन्द्र सिंह राठौर, श्रीराम चौहान, श्री भागीरथ पटेल, श्री छगनलाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कृषक जगत की वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 600 रूपये

कटनी के किसानों ने अपनाई नई तकनीक

सुपर सीडर से गेहूं की बोनी, वेंचुरी से जीवामृत का उपयोग

कटनी (कृषक जगत)। कटनी जिले के बहोरीबंद ब्लॉक के लखनवारा गांव के किसानों ने खेती में नई तकनीक अपनाकर मिसाल पेश की है। किसानों ने धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष (नरवाई) को जलाने के बजाय सुपर सीडर मशीन से सीधे गेहूं की बुवाई की है।

सुपर सीडर से हुआ फायदा– सुपर सीडर मशीन एक ही बार में नरवाई को मिट्टी में मिलाते हुए बुवाई करती है। इससे जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय, डीजल और मेहनत की बचत होती है। साथ ही नरवाई जलाने से होने वाला प्रदूषण भी रुक जाता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।

वेंचुरी तकनीक से जीवामृत का उपयोग– किसानों ने अब वेंचुरी उपकरण लगाकर सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत देने की शुरुआत की है। इससे हर सिंचाई में जीवामृत खेत में पहुंचता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और फसल की उपज बढ़ती है।

खेती में नई दिशा– लखनवारा गांव के किसानों की यह पहल दिखाती है कि नई तकनीक अपनाकर खेती को आसान, सस्ती और टिकाऊ बनाया जा सकता है।

ई-दक्ष केंद्र पन्ना में ड्रोन नवाचार पर प्रशिक्षण

पन्ना कलेक्ट्रेट स्थित ई-दक्ष केंद्र में विभागीय अधिकारियों को ड्रोन नवाचार के महत्व, उपयोगिता और सुरक्षा नियमों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक धीरज कुमार पांडेय और वैभव सोनी ने शासन की ड्रोन नीति व गुड गवर्नेंस में इसके प्रयोग पर विस्तृत जानकारी साझा की।

अब कोदो-कुटकी की खरीदी पर बोनस भी मिलेगा

सीधी (कृषक जगत)। उप संचालक, कृषि, सीधी ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा पहली बार कोदो और कुटकी फसलों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की नीति लागू की गई है। यह निर्णय कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इन फसलों के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 15 नवंबर 2025 कर दी गई है। अत: जिले के किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि उन्हें शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके।

उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल तथा कुटकी का 3500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को दोनों फसलों पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी प्रदान किया जाएगा।

किसानों की सुविधा के लिए जिले के विभिन्न विकासखण्डों में पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विकासखंड सीधी में गांधी आश्रम एवं चौफाल कोठार, विकासखंड रामपुर नैकिन में कुडिया, बघवार तथा कंधवार, विकासखंड मझौली में ताला एवं मझौली, विकासखंड सिहावल में अमिलिया एवं बघोर तथा विकासखंड कुसमी में टमसार पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं।

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., खरगोन

आपकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता

हमारे यहां पर ड्रिप में फ्लैट और राउण्ड एचडीपीई व स्प्रिंकलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। **सम्पर्क** – निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन, मो. : 7880017028, 7880017021 मई 25

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH

यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेराग्लेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर
ODOP – मिर्च-खरगोन

निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240
टेराग्लेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408
जुलाई 26

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। **संपर्क : मो.** : 9407853117, 9407853118, 9407853119, **नर्सरी स्थल** : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.) मार्च 25

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी
तिरुपति ग्रीन हाऊस नर्सरी
देश का सबसे बड़ा पौध भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिश्यूकल्चर, क्रीपर, बोन्साई, सक्यूलेन्ट्स, केक्टस, हैंगिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैंबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में
: आपका स्वागत है :
सिरलाय (बड़वाह) मध्यप्रदेश
www. tirupatinursery.com
email : tirupatinursery@gmail.com
मो. : 9479457720/99/63/86/96/16/17/13/31/51 मार्च 2025

पटवारी एग्रो एजेन्सी
:: वितरक ::
◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि. ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि. ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ ◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.
17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

कई प्रकार की फसलों के लिए एकमात्र स्वचलित गियर ड्राईव
वरदान
मल्टीक्रॉप पॉवर रीपर
वरदान एग्री सॉल्यूशन्स प्रा.लि.
63, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4970600, 6264916090.

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ▪ बीज ▪ औषधीय फसल
  विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ▪ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5%अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

कोरोमंडल ने हरदा में कृषक संगोष्ठी आयोजित की

किसानों को दिए आधुनिक पोषण प्रबंधन के गुर

इंदौर (कृषक जगत)। कृषि आदान क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. द्वारा हाल ही में हरदा में एक व्यापक कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के डिवीजनल एग्रोनॉमिस्ट श्री अमित मिश्रा, डिवीजनल फाइनेंस हेड श्री चेतन बडोला, सीनियर जोनल मैनेजर (इंदौर) श्री नीरज उपाध्याय, ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर सुश्री साक्षी सोनी, मार्केटिंग ऑफिसर श्री बृजेश धाकड़ (नर्मदापुरम्) एवं श्री हिमांशु सिंह (हरदा) तथा एग्रोनॉमिस्ट सुश्री अंकिता बेलवाल (इटारसी) उपस्थित रहे। संगोष्ठी में क्षेत्र के लगभग 80 किसान शामिल हुए।

पोषण प्रबंधन पर विशेष जोर

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को रबी फसलों के पोषण प्रबंधन और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कंपनी के प्रमुख उत्पाद ग्रोप्लस, ग्रोअल्फा और ग्रोमोर नैनो डीएपी की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

ग्रोप्लस : नई एन- फॉस तकनीक से समृद्ध

कंपनी प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रोप्लस अब सर्वोत्तम एन-फॉस तकनीक के साथ उपलब्ध है, जो फसलों में फॉस्फोरस की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इससे पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता व पीएच स्तर बेहतर बनता है। यह उर्वरक अन्य उत्पादों के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

ग्रो अल्फा : भारत का पहला स्मार्ट फर्टिलाइज़र

ग्रो अल्फा (यूरिया-सिंगल सुपर फॉस्फेट) को भारत का पहला स्मार्ट फर्टिलाइज़र बताया गया, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम का संतुलित मिश्रण है। यह उर्वरक समान कणों वाला है, जिससे पौधों को समान रूप से पोषण मिलता है। यह ढेले-मुक्त, किफायती और उपयोग में सरल है, जिससे किसानों का श्रम और लागत दोनों में बचत होती है।

ग्रोमोर नैनो डीएपी : पर्यावरण अनुकूल नवाचार

ग्रोमोर नैनो डीएपी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि इसके सूक्ष्म कण पौधों में तेजी से अवशोषित होते हैं, जिससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। यह उत्पाद पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक पॉलिमर से निर्मित है, जो मानव, फसल और पर्यावरण तीनों के लिए सुरक्षित है। इसके उपयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवहन लागत में कमी आती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है।

लकी ड्रॉ में किसानों को उपहार

कार्यक्रम के अंत में ग्रोमोर नैनो डीएपी किसान योजना के तहत लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता किसान श्री दिनेश को टाइटन वॉच भेंट कर सम्मानित किया गया। यह संगोष्ठी किसानों के लिए ज्ञानवर्धक रही और उन्हें आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि तकनीकों से जोड़ने का एक सफल प्रयास साबित हुई।

आरएम फॉस्फेट्स के उत्पादों से कुलदीप ने रचा कीर्तिमान

सोयाबीन में लिया 9 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन

इंदौर (कृषक जगत)। मेहनत, तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों का सही संयोजन जब होता है, तो परिणाम असाधारण होते हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है ग्राम टकरावदा, तहसील बदनावर, जिला धार के प्रगतिशील युवा किसान श्री कुलदीप सिंह चंदेल ने, जिन्होंने आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लि. के उत्पादों के प्रयोग से सोयाबीन की फसल में 9 क्विंटल प्रति एकड़ का उल्लेखनीय उत्पादन प्राप्त किया है।

तीन साल का भरोसा, शानदार नतीजे

श्री कुलदीप सिंह पिछले तीन वर्षों से 'महावीरा जिरोन' और अन्य उत्पादों का लगातार उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि, 'पिछले वर्ष मुझे सोयाबीन का उत्पादन 7 क्विंटल प्रति एकड़ मिला था। इस बार कंपनी के कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयोग की पद्धति में बदलाव किया और परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर रहे।'

वैज्ञानिक तरीके से किया उर्वरक प्रबंधन

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रति एकड़ 2 बैग 'महावीरा जिरोन' का उपयोग किया गया। इसके बाद बोरोन के दो स्प्रे और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे किया गया। बेसल डोज़ और फोलियर स्प्रे दोनों रूपों में उत्पादों के प्रयोग से फसल की वृद्धि, दाने की चमक, तेल की मात्रा और वजन - सभी में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। 70 एकड़ क्षेत्र में किए गए इस प्रयोग से औसत 9 क्विंटल प्रति एकड़ का संतोषजनक उत्पादन प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है।

'पहले आजमाएं, फिर अपनाएं'

श्री कुलदीप ने अन्य किसानों से आग्रह किया है कि-'आरएम फॉस्फेट्स के उत्पादों को पहले छोटे क्षेत्र में आजमाएं। मैंने भी शुरू में छोटे प्लॉट पर इनका परीक्षण किया था, नतीजे बेहतरीन मिले। तभी आज मैं 70 एकड़ में इनका उपयोग कर रहा हूं। आप भी एक बार प्रयोग करके देखें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।' कुलदीप सिंह की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि वैज्ञानिक सलाह और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के संयोजन से किसान अपनी आय और उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

(अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: 8827353784)

क्लाइमेट एक्शन में किसानों की भूमिका को लेकर

यूपीएल का वैश्विक अभियान '#AFarmerCan' लॉन्च

नई दिल्ली। सतत कृषि समाधान में वैश्विक अग्रणी कंपनी यूपीएल लि. ने नया वैश्विक अभियान '#AFarmerCan – The hero you dont' know you need' लॉन्च किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से पहले शुरू की गई है, जो 10 से 21 नवम्बर 2025 तक बेलेम (ब्राज़ील) में आयोजित होगा। यह अभियान किसानों को जलवायु नायक के रूप में सम्मानित करता है और विश्व नेताओं से आग्रह करता है कि वे जलवायु रणनीतियों के केंद्र में किसानों को स्थान दें। यूपीएल ने अपने संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए 360° एकीकृत अभियान शुरू किया है, जिसमें ब्राज़ील सहित प्रमुख बाज़ारों में आउटडोर ब्रांडिंग और डिजिटल जुड़ाव का संयोजन किया गया द्य

यूपीएल, जो 140 से अधिक देशों में कार्यरत है, छोटे किसानों से लेकर बड़े व्यावसायिक उत्पादकों तक के साथ मिलकर सतत कृषि और जलवायु अनुकूल समाधान प्रदान करती है। इसी अनुभव के आधार पर कंपनी ने दुनिया भर से 20 प्रेरणादायक किसान कहानियाँ चुनी हैं, जो दिखाती हैं कि कृषि किस तरह ग्रीनहाउस गैस (GHG) में कमी, ऊर्जा सुरक्षा, जल संरक्षण, मृदा पुनर्जीवन और जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे सकती है- यही पाँच स्तंभ COP30 में यूपीएल की भागीदारी का मार्गदर्शन करेंगे। अभियान का मुख्य संदेश है- 'नीतियाँ किसानों के साथ खड़ी हों, उपभोक्ता उनके नवाचार और धैर्य का सम्मान करें।'

'भविष्य खेतों से शुरू होता है'- जय श्रॉफ, चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ, यूपीएल

यूपीएल के चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ श्री जय श्रॉफ ने कहा, '#AFarmerCan अभियान के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जलवायु लचीलापन का भविष्य खेतों में शुरू होता है। किसान पहले से ही नवाचार कर रहे हैं, अनुकूलन अपना रहे हैं और धरती का पुनर्जीवन कर रहे हैं। फिर भी, वैश्विक जलवायु विमर्श में उनकी भूमिका पर्याप्त रूप से नहीं पहचानी गई है। अब समय है कि नीतिनिर्माता, संस्थान और उपभोक्ता किसान के साथ खड़े हों और उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान का केंद्र बनाएं।'

कोर्टेवा का डेलिगेट कीटनाशक किसानों को करेगा मजबूत

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कोर्टेवा एग्रीसाइंस का डेलिगेट® कीटनाशक आज देशभर के मक्का, कपास और मिर्च उत्पादक किसानों के लिए फसल सुरक्षा का एक भरोसेमंद समाधान बन गया है। यह उत्पाद एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management – IPM) प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसानों को फसल की सुरक्षा के साथ-साथ अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक मुनाफा हासिल करने में मदद करता है।

डेलिगेट® अपनी प्रमाणित प्रभावशीलता और कीट प्रतिरोध प्रबंधन (Insect Resistance Management – IRM) में योगदान के कारण किसानों के बीच लोकप्रिय है। यह न केवल कीट नियंत्रण में असरदार है, बल्कि टिकाऊ और किफायती भी है, जिससे किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलता है।

फॉल आर्मीवॉर्म और थ्रिप्स पर प्रभावी नियंत्रण

पिछले कई वर्षों से डेलिगेट किसानों के लिए एक विश्वसनीय साथी साबित हुआ है। यह मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म और कपास व मिर्च में थ्रिप्स जैसे हानिकारक कीटों पर तेज़ और प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। पारंपरिक कीटनाशक तरीकों से आगे बढ़ते हुए, यह उत्पाद किसानों को वैज्ञानिक और सटीक फसल सुरक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे फसल और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं।

डेलिगेट का असर लंबे समय तक रहता है, जिससे बार-बार छिड़काव की आवश्यकता कम होती है। यह किसानों का समय, मेहनत और लागत — तीनों बचाता है। फसल के महत्वपूर्ण चरणों पर सही समय पर छिड़काव करने से अधिकतम लाभ मिलता है। मक्का में शुरुआती वृद्धि के समय इसका छिड़काव फॉल आर्मीवॉर्म से सुरक्षा देता है और बालियों की गुणवत्ता सुधारता है। कपास में फूल आने और बॉल बनने के समय पर छिड़काव से थ्रिप्स और अन्य कीटों पर नियंत्रण होता है। वहीं मिर्च में फूल और फल बनने के चरण पर छिड़काव से फलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार आता है।

फसल बीमा योजना

किसानों का सुरक्षा चक्र या कंपनियों के लिए लाभ कवच ?

● विनोद के. शाह, मो. : 9425640778
Shahvinod69@gmail.com

अतिवृष्टि और फसल विनाश की त्रासदी

इस खरीफ सीजन में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के अनेक जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। ऐसे समय में फसल बीमा किसानों के लिए आशा की किरण बनना चाहिए था, किंतु यह राहत के बजाय असंतोष का कारण बन रहा है। सरकारें अरबों रुपये का प्रीमियम बीमा कंपनियों को देती हैं, परंतु अंततः राहत राशि उन्हें स्वयं किसानों को बाँटनी पड़ती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः उद्देश्य और निवेश

वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में हर वर्ष किसान हितग्राहियों की संख्या बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि बैंक ऋण लेने पर बीमा अनिवार्य है, और दूसरा — सरकारी प्रचार कि मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम पर किसानों को संपूर्ण फसल सुरक्षा मिलेगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर के लगभग 9.41 करोड़ किसान (4.19 करोड़ ऋणी और 5.22 करोड़ गैर-ऋणी) इस योजना से जुड़े हैं। किसान केवल 2% तक प्रीमियम देता है, जबकि शेष 98% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से वहन करती हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने रू. 14,600 करोड़ और राज्यों ने लगभग इतनी ही राशि बीमा कंपनियों को दी है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतने भारी सरकारी निवेश के बावजूद प्रभावित किसानों को उनकी फसलों के वास्तविक नुकसान का दस प्रतिशत से भी कम मुआवजा मिला है।

आकलन की खामियाँ और उपग्रह प्रणाली की सीमाएँ

पूर्व में फसल नुकसान का मूल्यांकन 'फसल कटाई प्रयोग' (Crop Cutting E&periment) के माध्यम से किया जाता था, जिसमें तीन वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर क्षतिपूर्ति तय होती थी। लेकिन इस पद्धति में राजस्व अमले और बीमा कंपनियों की मिलीभगत से आंकड़े अक्सर किसानों के प्रतिकूल जाते थे।

इसी खामी को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय ने उपग्रह आधारित फसल आकलन प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्रत्येक खेत की उपग्रह छवियों से फसल की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रणाली के आधार पर अगस्त 2025 में 30 लाख किसानों को रू. 3,200 करोड़ का भुगतान किया गया- जिसमें राजस्थान के किसानों को रू. 1,120 करोड़, मध्यप्रदेश को रू. 1,156 करोड़, छत्तीसगढ़ को रू. 150 करोड़ और अन्य राज्यों को रू. 778 करोड़ मिले।

फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की संपूर्ण भरपाई देना है। किंतु जमीनी हकीकत इस उद्देश्य से काफी भिन्न दिखाई देती है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान राहत की उम्मीद में भटकता है, राज्य सरकारें केंद्र से सहायता पैकेज की मांग करती हैं, जबकि बीमा कंपनियां निश्चित रहती हैं- यह तर्क देकर कि 'बीमा की शर्तों' के अनुसार प्रारंभिक या आंशिक नुकसान पर भुगतान नहीं बनता।

परंतु यह राहत किसानों के लिए 'मरहम' से अधिक 'नमक' साबित हुई। अनेक पीड़ित किसानों को मात्र रू. 100 से रू. 2,000 तक की राशि ही मिली। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के कुंवरहटा गांव में सभी किसानों के खातों में कुल रू. 17 का भुगतान हुआ, जबकि महाराष्ट्र के शिलोत्तर गांव के एक किसान को 11 एकड़ धान फसल के नुकसान पर मात्र रू. 2.30 मिले।

यह विडंबना इसलिए भी गहरी है क्योंकि उपग्रह तस्वीरों में खेतों की हरियाली दिखती है, लेकिन अंतिम उत्पादन — 'भूसा अधिक, दाना कम' — का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। यह बांझपन या फसल का आंतरिक नुकसान ही वह पहलू है, जिसे उपग्रह तकनीक पहचान नहीं सकती।

बीमा शर्तों में राहत का अभाव

बीमा कंपनियाँ केवल अंतिम उत्पादन में गिरावट को आधार बनाकर सामूहिक नुकसान का भुगतान करती हैं, जबकि हाल की अतिवृष्टि से नुकसान फसल की प्रारंभिक अवस्था में हुआ है। इस कारण कंपनियाँ भुगतान से बच रही हैं। कई राज्य सरकारें, जैसे पंजाब और महाराष्ट्र, अपने स्तर पर राहत दे रही हैं या केंद्र से सहायता पैकेज मांग रही हैं। पंजाब ने 23.81 लाख किसानों को रू. 1,623.51 करोड़ और महाराष्ट्र ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान मानते हुए रू. 1,356.30 करोड़ की राहत राशि दी है।

यह स्थिति एक गम्भीर प्रश्न उठाती है — जब सरकारें अरबों रुपये का प्रीमियम पहले ही बीमा कंपनियों को दे चुकी हैं, तब उन्हें अलग से राहत पैकेज देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या यह योजना किसानों की नहीं, बल्कि बीमा कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है?

अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना की समीक्षा और पुनर्रचना करें - ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वास्तव में किसानों की ढाल बने, न कि बीमा कंपनियों का लाभ कवच।

कृषि बीमा की दिशा में आवश्यक सुधार

यदि फसल बीमा योजना को वास्तव में किसान हितैषी बनाना है, तो निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं-

व्यक्तिगत खेत स्तर पर आकलनः नुकसान का निर्धारण केवल उपग्रह से नहीं, बल्कि भौतिक सत्यापन और उपज परीक्षण के माध्यम से हो।

बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय होः अनुचित या विलंबित भुगतान पर आर्थिक दंड का प्रावधान हो।

पारदर्शिता के लिए राज्य स्तरीय पोर्टलः प्रत्येक किसान अपने नुकसान और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सके।

न्यूनतम मुआवजा गारंटीः प्रीमियम के अनुपात में न्यूनतम मुआवजा राशि की कानूनी गारंटी हो।

आपदा कवरेज का विस्तारः प्राकृतिक आपदा या प्रारंभिक फसल क्षति को भी बीमा कवरेज में शामिल किया जाए।

फसल बीमा का उद्देश्य किसानों को संकट से उबारना है, न कि उन्हें बीमा कंपनियों की जटिल शर्तों में उलझाना। जब करोड़ों रुपये का प्रीमियम चुकाने के बाद भी किसान को न राहत मिलती है, न भरोसा, तब यह केवल एक 'नीति' नहीं, बल्कि 'सुधार की आवश्यकता' बन जाती है।